

TECHE

(संग्रह)

जुलाई भाग-2 2021

दुष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 फोन: 8750187501 ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुद्रुतम

संवैधानिक / प्रशासनिक घटनाक्रम		5
>	नवीनीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली	5
>	राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा	6
आ	र्थिक घटनाक्रम	9
>	हरित ऊर्जा' ट्रांजीशन: आवश्यकता और महत्त्व	9
>	भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार	10
अंत	र्राष्ट्रीय घटनाक्रम	13
>	बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड 'प्रस्ताव'	13
>	भारत के विदेशी दृष्टिकोण का नया स्वरुप	14
>	अफगानिस्तान में भारत के लिये उपलब्ध विकल्प	16
	नान एवं प्रौद्योगिकी	19
>	भारत में गुप्त निगरानी: चिंताएँ और चुनौतियाँ	19

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	21
> हिमालयी राज्यों में पारिस्थितिकी भंगुरता	21
सामाजिक न्याय	23
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना	24
प्रवासी श्रिमकों का पंजीकरण	26
> डिजिटल प्रौद्योगिकी और नागरिक समाज	27
आंतरिक सुरक्षा	30
भारतीय सशस्त्र बलों का पुनर्गठन	30



संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

नवीनीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली

कोविड-19 महामारी ने एक बार फिर सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के महत्त्व को प्रकट किया है। यह भी प्रकट हुआ है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 70% की हिस्सेदारी रखने वाले निजी स्वास्थ्य क्षेत्र केवल सहायक की भूमिका ही निभा रहे हैं।

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की बाधाओं को दूर करने और इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है जो न केवल कोविड-19 से बेहतर तरीके से निपटने की क्षमता प्रदान करेगी, बल्कि इस आपात स्थिति के आगे भी इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

कोविड-19 और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्त्व

- वृहत् भारतीय आबादी के लिये कार्यात्मक सार्वजिनक स्वास्थ्य प्रणालियों की उपलब्धता वस्तुत: जीवन और मृत्यु से संबद्ध प्रश्न है।
- एक सुदृढ़ सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सेवा अधिक प्रभावी पहुँच, समयबद्ध परीक्षण, आरंभ में ही संक्रमण का पता लगा सकने और कोविड
 रोगियों के अधिक तर्कसंगत उपचार के रूप में महत्त्व रखती है। उदाहरण के लिये दो राज्यों—महाराष्ट्र और केरल की सरकारी स्वास्थ्य
 देखभाल सेवाओं की तुलना करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है।
 - ◆ इन दोनों राज्यों का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) लगभग एक समान है। लेकिन दोनों राज्यों की कोविड-19 मृत्यु दर में पर्याप्त अंतर है—यह केरल के लिये 0.48% और महाराष्ट्र के लिये 2.04% है।
- दोनों राज्यों में इस व्यापक अंतर का एक प्रमुख कारण वहाँ की सार्वजिनक स्वास्थ्य प्रणालियों की प्रभावशीलता में भारी अंतर का होना प्रकट करता है।
 - केरल में प्रति व्यक्ति ढाई गुना अधिक सरकारी डॉक्टर हैं और महाराष्ट्र की तुलना में सरकारी अस्पताल में बिस्तरों का अनुपात भी उतना ही अधिक है, जबिक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति डेढ गुना अधिक धन भी आवंटित किया जाता है।
 - महाराष्ट्र में वृहत निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की उपस्थिति के बावजूद उसकी कमज़ोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कोविड आपात
 स्थिति के बीच एक गंभीर कमी साबित हुई है।

वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की समस्याएँ:

- प्राथिमक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अभाव: देश में मौजूदा सार्वजिनक प्राथिमक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल का दायरा अत्यंत सीिमत है।
 - यदि कहीं सुचारू सार्वजिनक प्राथिमक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध भी है तो उसकी सेवाएँ गर्भावस्था देखभाल, आरंभिक बाल देखभाल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित कुछ सेवाओं तक सीमित हैं।
- आपूर्ति-पक्ष की किमयाँ: बदतर स्वास्थ्य प्रबंधन कौशल और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिये उचित प्रशिक्षण एवं सहायक पर्यवेक्षण की कमी स्वास्थ्य सेवाओं की वांछित गुणवत्ता के वितरण को अवरुद्ध करती है।
- अपर्याप्त वित्तपोषण: भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण पर व्यय लगातार कम हो रहा है (जीडीपी का लगभग 1.3%)। OECD के अनुसार, भारत का कुल 'आउट-ऑफ-पॉकेट' व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.3% ही है।
- उप-इष्टतम सार्वजिनक स्वास्थ्य प्रणाली: इसके कारण ग़ैर-संचारी रोगों से निपटना चुनौतीपूर्ण है जहाँ रोकथाम और रोग की आरंभिक पहचान सबसे महत्त्वपूर्ण होती है।
 - 🔷 यह कोविड-19 महामारी जैसे नए और उभरते ख़तरों के लिये पूर्व-तैयारी और प्रभावी प्रबंधन की क्षमता को सीमित करता है।

आगे की राह

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता:

- एक वृहत कार्यक्रम की आवश्यकता है जिसके लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) पर तत्काल ध्यान देना होगा। वर्ष 2017-18 के बाद से NHM के लिये केंद्र सरकार के वित्तीय आवंटन में गिरावट आई है (in real terms), जिसके परिणामस्वरूप टीकाकरण जैसी मुख्य गतिविधियों के लिये राज्यों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला है, जबिक प्रणालीगत अंतराल ने कोविड-19 टीकाकरण के वितरण को भी प्रभावित किया है।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) की स्थिति भी दयनीय बनी हुई है।
 - ◆ NUHM के लिये इस वर्ष का केंद्रीय आवंटन 1,000 करोड़ रुपए है, जो प्रति माह प्रति शहरी भारतीय 2 रुपए से भी कम है।

निजी क्षेत्र का विनियमनः

- कोविड-19 महामारी के दौरान जिस एक अन्य प्राथमिक विषय पर ध्यान पड़ा है, वह है निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल की दरों और मानकों को विनियमित करने की आवश्यकता।
- अस्पताल के भारी बिलों ने समर्थ मध्यम वर्ग तक को प्रभावित किया है।
- यद्यपि म्यूकोरमाइकोसिस (Mucormycosis) के प्रकोप में कई घटकों का योगदान रहा, लेकिन कोविड-19 रोगियों (विशेष रूप से मधुमेह पीड़ितों) में स्टेरॉयड का अंधाधुंध उपयोग इसका एक महत्त्वपूर्ण कारक प्रतीत होता है।
- केंद्र सरकार को नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम [Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act- CEA] के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिये।
 - ◆ वर्ष 2010 में पारित और वर्तमान में देश के 11 राज्यों में लागू यह अधिनियम केंद्रीय न्यूनतम मानकों की अधिसूचना में व्यापक देरी और दरों के विनियमन के लिये केंद्रीय ढाँचे को विकसित करने की विफलता के कारण प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं हुआ है।

नीति आयोग के निदेश:

- नीति आयोग (NITI Aayog) ने हाल ही में 'भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर' शीर्षक दस्तावेज प्रकाशित किया है।
- दस्तावेज में कहा गया है कि 'अस्पताल खंड में महानगरीय क्षेत्रों से परे टियर-2 और टियर-3 शहरों में निजी सेवा प्रदाताओं का विस्तार एक आकर्षक निवेश अवसर प्रदान करता है।
- चिकित्सा उपकरणों और साधनों के निर्माण, डायग्नोस्टिक एवं पैथोलॉजी केंद्रों के विस्तार और लघुकृत निदान (miniaturized diagnostics) में उच्च विकास क्षमता विद्यमान है।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के साथ-साथ कृत्रिम बुिह्मत्ता (AI), वियरेबल्स (wearables) और अन्य मोबाइल टेक जैसी तकनीकी प्रगति भी निवेश के कई रास्ते खोलती है।

निष्कर्ष

कोविड-19 महामारी के मौजूदा साक्ष्य स्पष्ट संदेश देते हैं कि सार्वजिनक स्वास्थ्य प्रणालियों की उपेक्षा बड़े पैमाने पर जीवन की परिहार्य हानि का कारण बन सकती है; इसलिये सार्वजिनक स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथिमकता के रूप में तेजी से और व्यापक रूप से उन्नत किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा

भारत में वर्तमान में 1,000 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान (HEI) मौजूद हैं , जिनमें राष्ट्रीय महत्त्व के 150 से अधिक संस्थान शामिल हैं। समय के साथ ये वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र भी बन गए हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों ने पिछले दशक में शोधों की संख्या और उनकी गुणवत्ता दोनों में ही लगातार वृद्धि प्रदर्शित की है।

7

वर्तमान में भारत कुल शोध प्रकाशनों के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है और कुल शोध प्रकाशनों में इसकी हिस्सेदारी 5.31 प्रतिशत है। शिक्षा, ज्ञान सृजन (अनुसंधान एवं विकास) और नवाचार—इन तीन पहलुओं में से पहले दो पहलुओं में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों ने सापेक्षिक रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन नवाचार के मामले में वे पीछे रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy- NEP) से अपेक्षित है कि यह उच्च शिक्षा संस्थानों को "समस्या की तलाश में समाधान" के बजाय "समस्याओं के समाधान" पर कार्य करने लिये प्रेरित कर भारत में उच्च शिक्षा के परिदृश्य को रूपांतरित कर देगा।

भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की समस्याएँ

नामांकनः

- उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात (GER) मात्र 27.1% है जो विकसित देशों के साथ ही अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है।
- विद्यालय स्तर पर नामांकन में वृद्धि के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों की आपूर्ति देश में शिक्षा की बढ़ती माँग को पूरा करने में अपर्याप्त है।

गुणवत्ताः

- उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
- भारत में बड़ी संख्या में कॉलेज और विश्वविद्यालय UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शर्तों को पूरा करने में असमर्थ हैं।

राजनीतिक हस्तक्षेप:

- उच्च शिक्षा के प्रबंधन में राजनेताओं का बढ़ता दखल उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता को खतरे में डालता है।
- इसके अलावा, विभिन्न अभियानों में संलग्न छात्र शिक्षा संबंधी अपने उद्देश्यों को भूल जाते हैं और राजनीति में अपना कॅरियर विकसित करना शुरू कर देते हैं।

आधारभूत संरचना और सुविधाओं की बदतर स्थिति:

- भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिये बदतर बुनियादी ढाँचा एक और चुनौती है, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित संस्थानों में अवसंरचना तथा भौतिक सुविधाओं की स्थिति अच्छी नहीं है।
- शिक्षकों की कमी और योग्य शिक्षकों को आकर्षित करने तथा उन्हें बनाए रखने की राज्य शिक्षा प्रणाली की असमर्थता ने कई वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग में चुनौतियाँ खड़ी की हैं।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रिक्तियों के बावजूद बड़ी संख्या में नेट/पीएचडी उम्मीदवार बेरोजगार बने हुए हैं।

अपर्याप्त शोध:

- उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध/अनुसंधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
- संसाधनों एवं सुविधाओं की कमी है और छात्रों के मार्गदर्शन हेत सक्षम शिक्षकों की संख्या भी सीमित है।
- अधिकांश शोधार्थी फेलोशिप से वंचित हैं या उन्हें समय पर फेलोशिप प्रदान नहीं की जा रही है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके शोध को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान केंद्रों और उद्योगों के साथ भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों का समन्वय कमजोर है।

कमज़ोर शासन संरचनाः

 भारतीय शिक्षा प्रबंधन अति-केंद्रीकरण, नौकरशाही संरचनाओं और उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता की चुनौतियों का सामना कर ग्रहा है।

उच्च शिक्षा संस्थानों के संदर्भ में नई शिक्षा नीति की संभावनाएँ:

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (National Research Foundation- NRF): भारतीय शिक्षा जगत पारंपिरक रूप से
प्रासंगिकता और वितरण पर अधिक बल दिये बिना ही अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित रहा है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना
से उम्मीद है कि शिक्षा जगत को मंत्रालयों और उद्योगों के साथ संयुक्त किया जा सकेगा तथा स्थानीय आवश्यकताओं के लिये प्रासंगिक
अनुसंधान का वित्तपोषण किया जा सकेगा।

- NRF के ढाँचे के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी मंत्रालय (चाहे वह केंद्रीय मंत्रालय हो या राज्य का मंत्रालय) द्वारा अनुसंधान के लिये अलग-अलग वित्त आवंटित किया जाना अपेक्षित है।
- ♦ इसिलये, NRF से उम्मीद की जा रही है कि यह शोधकर्त्ताओं के समक्ष सुपिरभाषित समस्याएँ प्रस्तुत करेगी है, तािक वे लक्ष्य-उन्मुख और समयबद्ध तरीके से उनका समाधान ढूँढ सकें।
- बहु-विषयक विश्वविद्यालय: उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रौद्योगिकी विकास क्षमता को उजागर करने के लिये हमारे संस्थानों को न केवल अपने दायरे और प्रस्तुतियों में बहु-विषयक बनने की आवश्यकता है, बल्कि आपस में सहयोग करना भी जरूरी है।
 - ◆ विषयों, संस्कृतियों (अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों) और दृष्टिकोण (शैक्षणिक-उद्योग सहयोग) के संदर्भ में "असमान" विचारों को एक साथ लाना समय की आवश्यकता है।
 - ♦ NEP में परिकल्पित बहु-विषयक विश्वविद्यालय शोधकर्त्ताओं की रचनात्मक क्षमता पर बल देंगे।
- मौजूदा उच्च शिक्षा संस्थानों का उन्नयन: वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात (GER) को मौजूदा 27% से बढ़ाकर 50% करने के लक्ष्य के साथ भारत को न केवल नए उच्च शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय खोलने होंगे बल्कि मौजूदा उच्च शिक्षा संस्थानों का उन्नयन भी करना होगा।
 - ◆ इस व्यापक विस्तार के लिये न केवल अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी बल्कि एक नए शासन मॉडल की भी आवश्यकता होगी।
 - ♦ NEP उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये श्रेणीबद्ध स्वायत्तता प्राप्त करने की इच्छा रखती है। समय के साथ, स्वतंत्र बोर्ड पूर्व छात्रों एवं शिक्षा क्षेत्र, अनुसंधान एवं उद्योग के विशेषज्ञों की सिक्रय भागीदारी के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रबंधन करेंगे।
- उच्च शिक्षा संस्थानों का वित्तपोषण: नई शिक्षा नीति से बड़ी मात्रा में वित्तपोषण प्राप्त होने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा के लिये पहली बार सरकार ने शिक्षा के मद में सकल घरेलू उत्पाद के 6% के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में बजट आवंटन का वादा किया है।
 - 🔷 यह उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये आमूलचूल परिवर्तनकारी या 'गेम चेंजर' साबित होगा।
- सही जगह ध्यान केंद्रित करना: NEP 2020 के तहत, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान '3Is' (Interdisciplinary research, Industry connect and Internationalisation) पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमारे संस्थानों को वैश्विक मानकों तक ले जाने के तीन आवश्यक स्तंभ हैं।
 - अब तक, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय विविधता का अभाव रहा है और वे मुख्य रूप से स्थानीय बने रहे हैं; उन्होंने केवल भारतीय शिक्षकों को बहाल किया है तथा केवल घरेलू प्रतिभाओं को ही प्रशिक्षित किया है।
 - ♦ प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय संकाय और छात्रों की कमी भारतीय संस्थानों की खराब रैंकिंग का एक प्रमुख कारण रही है।
 - NEP ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये बाहर निकलने और विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय परिसरों की स्थापना कर सकने के तंत्र को सक्षम किया है। इससे न केवल उनकी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थित में वृद्धि होगी बल्कि वैश्विक स्तर पर उनके प्रति धारणाओं में भी सुधार होगा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एक अच्छी नीति है क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली को समग्र, लचीला, बहु-विषयक और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने पर लक्षित है। नीति की मंशा कई मायनों में आदर्श प्रतीत होती है, लेकिन निश्चय ही इसकी सफलता इसके कुशल कार्यान्वयन पर निर्भर होगी।

आर्थिक घटनाक्रम

हरित ऊर्जा' ट्रांज़ीशन: आवश्यकता और महत्त्व

संदर्भ

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक और सामाजिक व्यवधान विनाशकारी साबित हुए हैं। लाखों उद्यमों के अस्तित्त्व पर खतरा मंडरा रहा है। महामारी के कारण अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से संबद्ध कर्मी विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश सामाजिक सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल पहुँच की कमी से प्रभावित हैं और अर्थव्यवस्था में उत्पादक आस्तियों और माँग तक अपनी पहुँच काफी कम हैं।

भारत को V-आकार की रिकवरी की आवश्यकता है और इसके लिये एक वृहत मांग प्रोत्साहन दिया जाना काफी महत्त्वपूर्ण है। इस संदर्भ में एक हरित प्रोत्साहन (Green Stimulus) आवश्यक है, जो कि मांग उत्पन्न करने, वायु प्रदूषण की समस्या को संबोधित करने और हरित ऊर्जा की ओर ट्रांजीशन या अवस्थांतर में तेज़ी लाने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव

- जीडीपी विकास दर: आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान के साथ ही व्यापार विश्वास, वित्तीय बाजारों और यात्रा-पर्यटन क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव के कारण आर्थिक विकास दर को भारी नुकसान हुआ है।
- फार्मास्यूटिकल्स: चीन के साथ फार्मास्यूटिकल उद्योग के गहरे संबंधों के कारण दवाओं के कच्चे माल की आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुई है।
- ऑटोमोबाइल उद्योग: भारतीय मोटर वाहन उद्योग भी कोरोना महामारी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है और इस प्रकार ऑटोमोबाइल घटक और फोर्जिंग उद्योग भी इसके प्रभाव में आए हैं जो बाज़ार परिदृश्यों और BS-IV से BS-VI उत्सर्जन मानदंडों की ओर ट्रांज़ीशन (अप्रैल 2020 से लागू) के कारण पहले ही अपने उत्पादन दर में कटौती कर चुके हैं।
- विनिर्माण और अन्य क्षेत्र: हालाँिक, संभव है कि आंशिक लॉकडाउन के कारण विनिर्माण उद्योग प्रत्यक्षत: प्रभावित न हुआ हो, किंतु आतिथ्य,
 यात्रा और पर्यटन जैसे संपर्क सेवा क्षेत्रों पर महामारी का गुणक प्रभाव पड़ा है, क्योंिक इन क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ मजबूत पूर्वगामी संबंध है।

आर्थिक विकास को बढावा देने हेतु हरित ऊर्जा पर ध्यान देना आवश्यक

- फसल अवशेष और बिजली उत्पादन: प्रत्येक वर्ष दिवाली के आसपास उत्तर भारत में धान के अवशेषों (पराली) को जलाने से वायु प्रदूषण का गंभीर संकट उत्पन्न होता है।
 - लाभकारी मूल्य पर फसल अवशेषों की खरीद कर इससे बचा जा सकता है।
 - फसल अवशेष को 'ब्रिकेट' (Briquettes) में रूपांतरित किया जा सकता है, जो थर्मल पावर स्टेशनों में कोयले के विकल्प के रूप में उपयोगी हो सकता है।
 - NTPC ने उत्पादन लागत में किसी अतिरिक्त वृद्धि के बिना इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, क्योंकि ऊर्जा संदर्भ में ब्रिकेट की लागत कोयले की लागत के समतुल्य ही है।
- निवंश को बढ़ावा: फसल अवशेषों को ब्रिकेट में रूपांतिरत करने का कार्य निजी उद्यिमयों को सौंपा जा सकता है। इससे रूपांतरण के लिये
 प्रकीर्ण निजी निवंश का मार्ग खुलेगा और रूपांतरण उपकरण, श्रम और पिरवहन की मांग उत्पन्न होगी।
 - ♦ इसके साथ ही सरकार पर किसी प्रकार की अतिरिक्त लागत का भार पड़े बिना वायु प्रदूषण में कमी आएगी।
- इलेक्ट्रिक वाहन (EV): कार, तिपिहया और दोपिहिया वाहन के रूप में EV बाजार में उपलब्ध हैं। उनसे वायु प्रदूषण नहीं होता है। वे पिरचालन के दृष्टिकोण से काफी सस्ते भी होते हैं।
 - लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण इनकी मांग में वृद्धि नहीं हो रही है।

- ◆ दस लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की आवश्यकता है। इसे केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण के माध्यम से पूर्णरूपेण वित्तपोषित किया जा सकता है।
- यह देश भर में एक वृहत मांग प्रोत्साहन प्रदान करेगा और इलेक्ट्रिक वाहनों एवं उनकी विनिर्माण आपूर्ति शृंखला की माँग में सतत् वृद्धि को बल देगा। सिटी बस सेवाओं के लिये इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण के माध्यम से पूर्णरूपेण वित्तपोषित किया जा सकता है।
- ♦ मांग प्रोत्साहन के सृजन के साथ ही ये उपाय हमारे अत्यधिक प्रदूषित शहरों की वायु गुणवत्ता में भी पर्याप्त सुधार लाएंगे।
- नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना: भारत ने पेरिस समझौते के तहत वर्ष 2030 तक 450 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की अपनी प्रतिबद्धता से आगे जाने की महत्त्वाकांक्षा प्रदर्शित की है, जो कि सराहनीय है।
 - ♦ इस दिशा में प्रगित के लिये एक सरल तरीका यह होगा कि राज्यों को एक राष्ट्रीय नीति के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, जहाँ वे बिजली वितरण कंपनियों को उस लाभकारी मूल्य (फीड-इन टैरिफ) की घोषणा हेतु राजी करें जिस पर वे ग्रामीण क्षेत्रों से किलोवाट रेंज में सौर ऊर्जा की खरीद करेंगे।
 - ♦ किसी गाँव में उत्पन्न सौर ऊर्जा से किसानों को सिंचाई हेतु दिन के समय बिजली उपलब्ध कराना बहुत आसान हो जाएगा।
 - ◆ यह जल के अधिक कुशल उपयोग को भी बढ़ावा देगा। यदि एक गाँव में 1 मेगावाट बिजली पैदा करना संभव है तो देश के 6 लाख गाँवों के सहयोग से 600 गीगावाट क्षमता प्राप्त की जा सकती है।
 - इस तरह के कार्यक्रम से व्यापक रूप से प्रकीर्ण निजी निवेश और आय में वृद्धि का होगी।
- ग्रामीण स्तर पर आय सृजन: वर्तमान में जब प्राय: सभी घरों को रसोई गैस स्टोव और सिलेंडर प्राप्त हो रहे हैं और उन्हें बिजली कनेक्शन भी मिल गया है, ऐसे में रसोई ईंधन हेतु गाय के गोबर की आवश्यकता नहीं रह गई है। इसे लघु ग्राम-स्तरीय संयंत्रों में गैस में रूपांतरित करने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका उपयोग रसोई के लिये ईंधन, परिवहन अथवा बिजली के निर्माण हेतु किया जा सकेगा।
 - एक सरकार-समर्थित प्रणाली द्वारा लाभकारी मूल्य पर इस गैस या इससे उत्पन्न बिजली की खरीद से निजी निवेश के लिये सकारात्मक
 प्रोत्साहन प्राप्त होगा और ग्रामीण स्तर पर आय सृजन का अवसर उपलब्ध होगा।
- पशुधन का उपयोग: भारत में विश्व की मवेशियों की सबसे बड़ी आबादी मौजूद है और ऐसे में उत्पादित गोबर को संपूर्ण रूप से उपयोगी
 व्यावसायिक ऊर्जा में आसानी से रूपांतरित किया जा सके। यह क्रॉस-सब्सिडी हेतु भी उपयुक्त विषय होगा।
 - राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन को आगे बढ़ाने हेतु क्रॉस-सिब्सिडी का इस्तेमाल किया गया था। तब से लागत में महत्त्वपूर्ण रूप से गिरावट आई है।

यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि सौर ऊर्जा, फसल अवशेष आदि विषयों में नवोन्मेषी उपाय वृहत गुणक प्रभावों के साथ प्रकीर्ण मांग और रोजगार का सजन कर सकते हैं।

ये हरित प्रोत्साहन के लिये कुछ नवोन्मेषी और वहनीय उपाय हैं, जो व्यापक गुणक प्रभाव के साथ मांग और रोजगार का सृजन करेंगे, साथ ही ये स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा देंगे।

भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार

भारत में कृषि नीतियाँ संस्थाओं की एक जटिल प्रणाली द्वारा अभिकल्पित और कार्यान्वित की जाती हैं। कृषि के कई पहलुओं से संबंधित संवैधानिक उत्तरदायित्व राज्यों पर हैं लेकिन केंद्र सरकार कृषि नीति के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास और राज्य स्तर पर इसके कार्यान्वयन के लिये आवश्यक धन उपलब्ध कराने के रूप में इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

किसानों की आजीविका के सभी पहलुओं पर सरकारी एजेंसियों का दखल है। नवीनतम निष्कर्षों में विभिन्न केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों तथा एजेंसियों को शामिल किया गया है जो ग्रामीण संपत्ति के अधिकार, भूमि उपयोग एवं भूमि सीमा; कमोडिटी की कीमतें, इनपुट सिब्सिडी एवं विभिन्न कर, आधारभूत संरचना, उत्पादन, ऋण, विपणन एवं खरीद, सार्वजिनक वितरण, अनुसंधान, शिक्षा एवं कृषि विस्तार सेवाएँ; व्यापार नीति; कृषि-व्यवसाय तथा अनुसंधान जैसे तमाम विषयों में अपना प्रभाव रखते हैं।

हाल ही में किसान आंदोलन के चरम दिनों में यह दावा बेहद आम था कि नए कृषि कानुनों के परिणामस्वरूप भारतीय कृषि भूमियों पर कॉर्पोरेट का कब्ज़ा हो जाएगा। हालाँकि कृषि क्षेत्र वर्तमान में मुख्यत: सरकारी स्वामित्व के नियंत्रण में हैं।

वर्तमान व्यवस्था के साथ समस्याएँ

- विभिन्न राज्यों में पैदावार का अंतर: हरित क्रांति के पाँच दशक बाद भी हरित क्रांति का केंद्र रहे राज्यों और शेष देश के कृषि ज़िलों के बीच चावल और गेहूँ की पैदावार में व्यापक अंतर है।
 - 🔷 इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा के बाहर विभिन्न जिलों में उगाए जाने वाले चावल और गेहूँ की पैदावार में अंतर, जोखिम के उच्च स्तर को प्रदर्शित करते हैं।
- बुनियादी ढाँचे के विकास का अभाव: विभिन्न कृषि क्षेत्रों में सिंचाई, सड़क, बिजली जैसी आम आवश्यकताओं के प्रावधान में भारी
 - ♦ कृषि भूमि, फसलों और आदानों (इनपुट्स) के लिये सुव्यवस्थित बाजारों के अभाव, श्रम सुधार की धीमी गित तथा शिक्षा की बदतर गुणवत्ता ने कृषि जिलों के भीतर एवं उनके बीच समग्र संसाधन गतिशीलता को कम कर दिया है।
 - 🔷 यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने और जिलों के बीच पैदावार के अंतर को कम करने के लिये आवश्यक विचारों तथा प्रौद्योगिको को गतिशीलता को भी सीमित कर दिया है।
- प्रभावी विकेंद्रीकरण का अभाव: एक विकेंद्रीकृत प्रणाली (जहाँ प्रयोग किये जाते हैं, एक-दूसरे के अनुभवों से सीख ली जाती है और सर्वोत्तम अभ्यासों एवं नीतियों को अपनाया जाता है) की स्थापना का वास्तविक वादा साकार होने में प्राय: नाकाम ही रहा है।
 - इसके बजाय आजादी के बाद से भारतीय कृषि अत्यधिक खंडित ही बनी रही है।
- प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास: राज्य प्रदत्त विभिन्न इनपुट सब्सिडी और न्यूनतम मूल्य गारंटी खरीद योजनाओं ने उत्पादकता के समग्र स्तर और कृषि जोखिम की स्थिति को बदतर किया है, जहाँ यह जल संसाधनों, मृदा, स्वास्थ्य और जलवायु के क्षरण के साथ प्रतिकूल प्रभावों को जन्म दे रहा है।
- कृषि क्षेत्र की कीमत पर खाद्य सुरक्षा: इसका परिणाम केंद्र और राज्य दोनों सरकारी एजेंसियों द्वारा मनमाने एवं परस्पर विरोधी नीतिगत हस्तक्षेपों का दमघोंट्र मिश्रण रहा है।
 - ♦ विडंबना है कि "खाद्य सुरक्षा" कृषि क्षेत्र को दाँव पर लगाकर प्राप्त की गई है जो किसानों, परिवारों, उपभोक्ताओं, व्यापारियों, फर्मों और राज्य जैसे सभी हितधारकों को दायरे में लेता है और ऐसा व्यक्तिगत कल्याण के निम्न स्तर और समग्र जोखिम के उच्च स्तर के साथ किया गया है।

आगे की राह

- आय को अधिकतम तथा जोखिम को न्युनतम करना: तीन नए कृषि कानुन उन व्यापक आर्थिक सुधारों का एक पक्ष मात्र हैं जिनकी आवश्यकता भारतीय कृषि के स्थिरीकरण के लिये पड़ेगी।
 - ♦ इन सुधारों के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होगा जो कृषक परिवारों को अपना आय अधिकतम करने जबिक कृषि जोखिम के समग्र स्तर को न्यूनतम करने का अवसर दें।
- उदारीकृत खेती: किसानों को अपने खेतों के लिये संसाधनों, भूमि, आदानों, प्रौद्योगिकी और संगठनात्मक रूपों के सर्वोत्तम मिश्रण का निर्धारण करने के लिये स्वतंत्र किया जाना चाहिये।
 - 🔷 राज्य ने बहुत लंबे समय से कृषि परिवारों को नियंत्रित एवं निर्देशित उत्पादन, विपणन और वितरण योजनाओं के अधीन रखा है।
 - ♦ किसानों को गैर-कृषि क्षेत्र के उद्यमियों की तरह अपनी शर्तों पर और अपनी इच्छा से किसी के भी साथ अनुबंध करने की स्वतंत्रता के साथ कृषि क्षेत्र में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- कृषि संस्थानों और शासन प्रणालियों में सुधार: प्रमुख नीति क्षेत्रों को एक छतरी के नीचे लाकर केंद्रीय स्तर पर भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
 - केंद्रीय मंत्रालयों एवं एजेंसियों के बीच और केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना।

- एक प्रकार की विकेंद्रीकृत प्रणाली का अनुमोदन: ऐसे बुनियादी सुधारों की आवश्यकता है जो देश भर में किसानों और कृषि संसाधनों की अधिकाधिक गतिशीलता को अनुमित दे।
 - एक वास्तिवक विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था में असम के किसी किसान को भी "पंजाब मॉडल" से उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि पंजाब के किसानों को मिलता है और विलोमत: भी यही स्थिति होगी।

भारत का कृषि-खाद्य क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है जहाँ यह विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है तो दूसरी तरफ उसके पास विभिन्न अवसर भी मौजूद हैं। यदि आवश्यक सुधार लागू किये जाते हैं तो ये भारत को अपनी विशाल आबादी के लिये खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सुधार लाने, अपने लाखों छोटे जोतदारों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने और संसाधनों एवं जलवायु पर भारी दबावों को दूर करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही ये सुधार संवहनीय उत्पादकता वृद्धि और एक आधुनिक, कुशल एवं प्रत्यास्थी कृषि खाद्य प्रणाली के निर्माण में सहायता करेंगे जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास और रोजगार सृजन में योगदान दे सकती है।



अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड 'प्रस्ताव'

हाल ही में G-7 नेताओं ने 'बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड' (Build Back Better World- B3W) प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य विकासशील और निम्न आय वाले देशों में बुनियादी ढाँचा निवेश घाटे को दूर करना है।

इस प्रकार यह प्रस्ताव 'बेल्ट रोड इनिशिएटिव' (Belt Road Initiative- BRI) परियोजनाओं के माध्यम से 100 से अधिक देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने का प्रयास है। BRI परियोजनाओं के माध्यम से चीन वैश्विक व्यापार, विदेश नीति और भू-राजनीति में अपने रणनीतिक प्रभुत्व की स्थापना हेतु अपनी रणनीतियों या ऋण जाल संबंधी व्यवहारों को विस्तृत करना चाहता है।

B3W अभी अपने आरंभिक चरण में है और यह देखा जाना शेष है कि भारत 'बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड' में क्या भूमिका निभाएगा क्योंकि वह BRI का प्रबल विरोधी रहा है, जिसे चीन द्वारा व्यापार, विदेश नीति और भू-राजनीति में अपना रणनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने हेतु डिजाइन किया गया है।

BRI की स्थित और संबद्ध मुद्दे

- BRI परियोजना वर्ष 2013 में शुरू की गई थी और इसका व्यापक लक्ष्य वस्तुओं के सीमा-पार परिवहन को सुगम बनाना, ऊर्जा तक पहुँच स्थापित करना और चीनी उद्योगों में मौजूदा अतिरिक्त क्षमता हेतु माँग का सृजन करना है।
 - 🔷 इस योजना के मद में वर्ष 2013 से 2020 के मध्य तक चीन का कुल निवेश लगभग 750 बिलियन डॉलर का रहा।
- हालाँकि BRI परियोजनाओं को व्यापक रूप से देखा जाए तो स्पष्ट रूप से चीन-केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण एवं उत्पादन नेटवर्क और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आधिपत्य के साथ अंतत: वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व स्थापित करने की चीन की मंशा का पता चलता है।
- उदाहरण के लिये-चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), बांग्लादेश-चीन-म्याँमार आर्थिक गलियारा (BCIM) और श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना कुछ प्रमुख BRI परियोजनाएँ हैं।
 - ♦ ये परियोजनाएँ केवल वाणिज्यिक प्रकृति की ही नहीं हैं बल्कि इनके रणनीतिक⁄सामरिक निहितार्थ भी हैं।
- इसके अलावा BRI परियोजना औपनिवेशिक प्रकृति की है क्योंिक चीन का व्यापार चीनी बाजारों तक अधिक बाजार पहुँच प्रदान करता है
 और ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
 - ◆ कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (CFR) के अनुसार, वर्ष 2013 से चीन द्वारा प्रदत्त कुल ऋण में वृद्धि हुई है और कुछ देशों में तो यह उनके सकल घरेलु उत्पाद के 20% के पार चला गया है।

B3W और इसके मार्गदर्शक सिद्धांत

- लक्ष्य: 'बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड' योजना विकासशील और निम्न-आय वाले देशों के लिये G-7 देशों द्वारा प्रस्तावित एक कोविड-19 राहत,
 भविष्योन्मुखी आर्थिक और बुनियादी ढाँचा पैकेज है।
- B3W के घटक: B3W के माध्यम से G-7 और अन्य समान विचारधारा वाले भागीदार देश चार प्रमुख क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के माध्यम से पूंजी जुटाने हेतु समन्वय करेंगे:
 - जलवायु,
 - स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा,
 - डिजिटल प्रौद्योगिकी.
 - लैंगिक निष्पक्षता और समानता।
- मूल्य-प्रेरित विकास: आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से पारदर्शी एवं संवहनीय तरीके से बुनियादी ढाँचा विकास प्राप्तकर्ता देशों और समुदायों को बेहतर परिणामों की ओर ले जाएगा।

- सुशासन और सुदृढ़ मानक: B3W पर्यावरण एवं जलवायु, श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों, पारदर्शिता, वित्तपोषण, निर्माण, भ्रष्टाचार-विरोधी और अन्य क्षेत्रों से संबंधित ब्लू डॉट नेटवर्क (Blue Dot Network) द्वारा प्रचारित मानकों का अनुपालन करते हुए निवेश को बढ़ावा देगा।
- जलवायु-अनुकूल दृष्टिकोण: निवेश इस प्रकार किया जाएगा जो पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के अनुरूप होगा।
- मज़बूत रणनीतिक साझेदारी: B3W, विकास के आक्रामक मॉडल का मुकाबला करने और वैश्विक विकास का एक अधिक समावेशी मॉडल स्थापित करने की परिकल्पना करता है।

आगे की राह:

- पूंजीवाद पर नवीन दृष्टिकोण की खोज: कोविड-19 ने समकालीन पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की भंगुरता और सामाजिक रूप से इनके नकारात्मक परिणामों को उजागर किया है।
 - ♦ इस प्रकार B3W ब्लूप्रिंट द्वारा प्रेरित वैश्विक विकास के निर्माण हेतु इस पूंजीवाद के वर्तमान मॉडल में सुधार की आवश्यकता होगी।
- लोकतांत्रिक देशों के बीच सर्वसम्मित: G-7 देशों जैसे जीवंत लोकतंत्रों द्वारा तैयार की गई किसी भी योजना में आमतौर पर समय लगता है
 और इसे कई राजनियक और नौकरशाही प्रक्रियाओं एवं अवरोधों से गुजरना पड़ता है।
 - ◆ इस प्रकार G-7 देशों के लिये मुख्य चुनौती वैश्विक आम सहमित का निर्माण करना और समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को कार्यान्वित करना है।

निष्कर्ष

BRI के परिप्रेक्ष्य में B3W का प्रति-प्रस्ताव निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य क़दम है जो चीनी वृहत योजना के प्रतिकूल प्रभावों पर अंकुश लगाएगा। हालाँकि B3W में वर्तमान स्तर पर सुसंगत विचारों और उचित योजना का अभाव है।

फिर भी यह बेहतर स्थिति है कि एक विकल्प का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त यह देखा जाना शेष है कि भारत B3W में क्या भूमिका निभाएगा क्योंकि वह चीन के BRI का प्रबल विरोधी रहा है।

भारत के विदेशी दृष्टिकोण का नया स्वरुप

कोविड-19 महामारी से डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक जूझने के बाद विश्व अब उबर रहा है और वैश्विक आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है।

इस क्रम में एक ओर एक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर (Minimum Corporate Tax) व्यवस्था स्थापित करने के लिये एक नए वैश्विक कर (Global Tax) पर विचार किया जा रहा है, तो दूसरी ओर शुद्ध शून्य उत्सर्जन (Net Zero Emissions) लक्ष्यों में सहायता के लिये कार्बन सीमा शुल्क का अनावरण किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में बाध्यकारी विवाद समाधान प्रावधानों को शामिल करने का प्रयास तेज है, जबकि प्रौद्योगिकीय अलगाव या डिकपलिंग (Technological Decoupling) भी आकार ले रहा है और नई मूल्य शृंखलाएँ स्थापित की जा रही हैं।

जलवायु, स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी और भू-अर्थशास्त्र वैश्विक संवाद को परिभाषित करेंगे। भारत को अग्रसिक्रय बने रहना चाहिये और इन क्षेत्रों को समझने एवं आकार देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये न कि वह केवल परिणाम भुगतने की स्थिति में बना रहे।

भारत की विदेश नीति

- भू-राजनीति पर केंद्रित: अधिकांश अन्य राज्यों की ही तरह भारतीय विदेश नीति ने आम तौर पर भू-राजनीति से संबंधित संघर्षण और मित्रता को प्राथमिकता दी है, जैसे:
 - परमाणु निरस्त्रीकरण की माँग
 - शीत युद्ध पर प्रतिक्रिया के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन
 - संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को समर्थन
 - ♦ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) को अंगीकार करने का आह्वान
 - हालाँकि, भू-अर्थशास्त्र को कम महत्त्व दिया गया है।

- पर्यावरण संबंधी पहल: भारत के प्रधानमंत्री ने जलवायु कार्रवाई का एक ऐसे विषय के रूप में समर्थन किया है जहाँ भारत द्वारा अपने नागरिकों के हित में अपनी सीमाओं के अंदर की गई कार्रवाई सीमाओं के बाहर भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण हैं। इसके आर्थिक और राजनीतिक दोनों लाभ प्राप्त होंगे।
 - ◆ इसके अतिरिक्त, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन (UNFCC), जैव विविधता (CBD) और भूमि
 (UNCCD) पर तीनों रियो सम्मेलनों के कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज (COP) की मेजबानी की है।
- महामारी के दौरान विदेश नीति: कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान आवश्यक वैश्विक आपूर्ति प्राप्त करने में भारत का विदेश नीति उपकरण ही प्रमुख रहा।

संबंधित चुनौतियाँ:

- मानव संसाधन से संबंधित समस्याएँ: प्रवासन और मानव गितशीलता (Migration and Human Mobility) उभरती हुई समस्याएँ हैं।
 - भारत और अफ्रीका युवा आबादी के सबसे बड़े क्षेत्र होंगे जबिक अधिकांश अन्य समाजों में आबादी की औसत आयु बढ़ रही होगी।
 भारत में अवसरों की कमी 'ब्रेन ड्रेन' की स्वाभाविक स्थिति उत्पन्न करती है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्देः एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) एक उभरती हुई वैश्विक समस्या है जिसमें जारी कोविड-19 महामारी आगे और योगदान कर सकती है।
 - साइबर सुरक्षा को लेकर भी वैश्विक चिंताएँ बढ़ रही हैं।
- चीन की बढ़ती शक्ति: सैन्य रूप से चीन ने स्वयं को और शक्तिशाली कर लिया है और वर्ष 2021 में अपने तीसरे विमानवाहक पोत के लॉन्च की घोषणा के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभूत्व बढाने की इच्छा रखता है।
- बिगड़ते भारत-रूस संबंध: हालाँकि भारत और रूस रणनीतिक और आर्थिक सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है, शीत युद्ध के बाद के दौर में रूस और चीन का रणनीतिक अभिसरण भारत की विदेश नीति में बाधा बना रहा है।
 - ◆ इसके अलावा वर्ष 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के कारण रूस पर लगाए गए पश्चिम के प्रतिबंधों ने रूस को चीन के निकट सहयोगी के रूप में बना दिया है।
 - इससे यह प्रतीत होता है कि रूस की भारत जैसे देशों में रुचि कम हो गई है।
 - ♦ अमेरिका के साथ भारत की निकटता ने रूस और ईरान जैसे पारंपरिक मित्रों के साथ इसके संबंध कमज़ोर किये हैं।

आगे की राहः

- भू-राजनीति तक सीमित नहीं रहना: वैश्विक आयामों को ध्यान में रखते हुए एक वृहत दृष्टिकोण से विशाल सीमा-पारीय डिजिटल कंपिनयों के विनियमन, बिग डेटा प्रबंधन, व्यापार-संबंधी मामले और आपदा एवं मानवीय राहत जैसे विषयों को संबोधित करना लाभदायी साबित हो सकता है।
 - भारत के विदेश नीति एजेंडे को भू-राजनीति के पारंपिरक दायरे तक ही सीमित न रखते हुए विस्तार देने की आवश्यकता है।
- भू-अर्थशास्त्र के महत्त्व को समझना: भू-अर्थशास्त्र अनिवार्य रूप से भू-राजनीति पर प्रभाव डालता है। चीन का 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) इसका उदाहरण है।
 - ♦ जलवायु, स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ विभिन्न प्रकार के भू-राजनीतिक संघर्षों के पहलू बन रहे हैं।
 - ◆ इन क्षेत्रों को दायरे में लेने की भारत की इच्छा (जिन्हें पहले वह अपनी विदेश नीति के दायरे से परे मानता था) वैश्विक परिवर्तनों की आने वाली लहर को पार कर सकने की उसकी क्षमता की कुंजी होगी।
- वर्ष 2023 में G-20 की अध्यक्षता: वर्ष 2023 में G-20 की अध्यक्षता भारत को भू-राजनीतिक हितों के साथ भू-आर्थिक विषयों को समन्वित करने के अवसर प्रदान करेगी।
 - ♦ अभी तक भारत ने एक वैश्विक शक्ति की भूमिका निभाने की महत्त्वाकांक्षाओं के साथ एक उभरती हुई शक्ति की भूमिका ही निभाई है।
 - वर्ष 2023 का G-20 शिखर सम्मेलन विश्व के प्रमुख मुद्दों पर मुखर होने और अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिये सिक्रय होने के अवसर प्रदान करेगा।

- रणनीतिक प्रतिरक्षा या 'स्ट्रेटेजिक हेजिंग': भारतीय विदेश नीति के लिये आगे का रास्ता रणनीतिक प्रतिरक्षा का होना चाहिये—यानी घरेलू के साथ-साथ बाह्य रणनीतिक क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण और विनिर्माण एवं निर्यात में वृद्धि के माध्यम से विदेशों में आर्थिक निर्भर क्षेत्रों के सृजन का एक संयोजन।
 - ◆ इसके अलावा, भारत को क्षमताओं और पहुँच के बीच एक संतुलन लाने की आवश्यकता है जिससे फिर वह अन्य देशों के साथ रणनीतिक प्रतिरक्षा में महारत हासिल कर सकता है।

भारत की विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य व्यापक अर्थों में राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करना, उन्हें बढ़ावा देना और उनकी सुरक्षा करना है तथा अपने दायरे को बढावा देना है।

यदि भारत वैश्विक परिवर्तन की अगली लहर को लीड (Lead) करना चाहता है तो उसे जल्द ही एक व्यापक वैश्विक एजेंडा और सावधानीपूर्वक तैयार किये गए 'गेम प्लान' की आवश्यकता होगी।

अफगानिस्तान में भारत के लिये उपलब्ध विकल्प

यह कोई संयोग भर नहीं है कि जिस समय संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है, उसी समय उसकी विदेश नीति पूर्वी एशिया पर केंद्रित हो रही है।

इस बात पर आम सहमित बढ़ती जा रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने विफल युद्धों में ही संलग्न बने रहने के बजाय अब चीन के साथ उभरती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा के लिये स्वयं को तत्काल तैयार करना चाहिये।

तालिबान को पराजित करना और अफगानिस्तान का राष्ट्र-निर्माण अमेरिका की नव-रूढ़िवादी विचारधारा (लोकतंत्र को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप) का अंग रहा था, जो स्पष्ट रूप से विफल रहा है।

हालाँकि अमेरिका भले ही अफगान सरकार का साथ छोड़ दे और इससे बाहर निकल आए किंतु भारत यह जोखिम नहीं उठा सकता। उसे न केवल अपने निवेश की रक्षा करनी है बल्कि अफगानिस्तान को भारत विरोधी आतंकवादी समूहों के लिये एक और सुरक्षित आश्रय बनने से रोकना है। इसके साथ ही भारत को काबुल के ऊपर पाकिस्तान के प्रभाव में वृद्धि पर भी संतुलित नियंत्रण कायम रखना है।

अमेरिका की बदलती प्राथमिकताएँ

- मध्य-पूर्व से हिंद-प्रशांत तक बदलती प्राथिमकताएँ:
 - संभव है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी एशिया के समुद्री क्षेत्र में चीन से मुकाबले की उसकी वृहत् रणनीति का एक अंग हो जहाँ उसे भारत के सहयोग की भी आवश्यकता है और विशेष रूप से वास्तिवक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामकता के बाद भारत को यह समीकरण आकर्षक भी लगे।
 - चीन के आक्रामक उदय के प्रति अमेरिका की रणनीतिक प्रतिक्रिया उसकी हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) रणनीति के रूप में व्यक्त हुई
 है, जिसका उद्देश्य चीन के उभार को रोकना और उसकी उच्च-कार्यशील एकदलीय तानाशाही को चुनौती देना है।
 - ◆ अमेरिका चाहता है कि भारत क्वाड (Quad) ब्लॉक में एक अहम भूमिका निभाए लेकिन यहाँ एक समस्या भी है। भारत, अन्य सदस्य देशों के विपरीत क्वाड में शामिल एकमात्र महाद्वीपीय एशियाई शक्ति है जो चीन के साथ एक विवादित सीमा-रेखा साझा करता है और यूरेशियाई भूभाग में भू-राजनीतिक परिवर्तनों के प्रति भेद्य या संवेदनशील है।
- अंतहीन युद्धों को समाप्त करना: अफगानिस्तान में खर्चीले और लंबे समय तक जारी सैन्य हस्तक्षेप के बाद अमेरिका को अब अफगानिस्तान में अपना कोई हित नज़र नहीं आ रहा है।

अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति

- 1990 के दशक में एक संक्षिप्त अवरोध को छोड़ दें तो अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे हैं, जो वर्ष 1950 की मैत्री संधि (Treaty of Friendship) से आगे बढ़े थे।
- 🔸 भारतीय हितों और प्रभाव को तब धक्का लगा जब पाकिस्तान द्वारा समर्थित तालिबान ने वर्ष 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया।

- लेकिन वर्ष 2001 में अमेरिकी आक्रमण के बाद जैसे ही तालिबान को सत्ता से बेदखल किया गया, भारत ने पुन: अपनी खोई हुई स्थिति वापस प्राप्त कर ली।
- भारत ने तब से अफगानिस्तान में भारी निवेश और वित्तीय प्रतिबद्धताओं (3 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक) की पूर्ति की है और अफगान सरकार के साथ मजबूत आर्थिक और रक्षा संबंध विकसित किये हैं।
- लेकिन अब एक बार फिर वह अनिश्चितता की स्थिति से गुज़र रहा है क्योंिक अमेरिकी सैन्य बल की वापसी ने अफगानिस्तान में शिक्त संतुलन को प्रभावी रूप से बदल दिया है और तालिबान अब यहाँ तेज़ी से अपनी क्षेत्रीय पकड़ मजबूत कर रहा है।

अफगानिस्तान में भारत के पास उपलब्ध विकल्प

- तालिबान से संवाद: तालिबान से संवाद भारत को निरंतर विकास सहायता या अन्य प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के बदले विद्रोहियों से सुरक्षा की गारंटी का अवसर प्रदान कर सकता है; साथ ही पाकिस्तान से तालिबान की स्वायत्तता की संभावना के अवसर तलाश किये जा सकते हैं।
 - इस समय तालिबान से वार्ता करना अपिरहार्य नजर आ रहा है। लेकिन भारत को पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठान और हक्कानी नेटवर्क
 (तालिबान के अंदर सिक्रय एक प्रमुख गुट) के बीच के गहरे संबंधों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिये।
 - ♦ अमेरिका ने तालिबान से संघर्ष में इस पक्ष की अनदेखी की थी और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी।
- अफगान सरकार को विश्वास में लेना: इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तालिबान को वार्ता में संलग्न कर इच्छित परिणाम पाने का भारत का कोई प्रयास वांछनीय परिणाम ही लाएगा। इसलिये भारत को अपने विकल्पों को व्यापक बनाए रखना चाहिये, जिसमें अफगान सरकार को विश्वास में लेना भी शामिल है।
 - अपने हितों की रक्षा के लिये तालिबान से संवाद करते हुए भी भारत को अफगानिस्तान की वैध सरकार तथा सुरक्षा बलों की सहायता में वृद्धि करनी चाहिये और देश में दीर्घकालिक स्थिरता के लिये अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ सहयोग करना चाहिये।
- अफगान सैन्य बलों का समर्थन: अफगान सेना में उच्च-प्रशिक्षित विशेष बलों सिहत लगभग 200,000 युद्ध-अनुभवी सैनिक शामिल हैं।
 अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बल ही एकमात्र सैन्य बल है जो तालिबान के सामने डटकर खड़ा है।
 - भारत को तत्काल अफगान बलों के प्रशिक्षण में सहयोग देना चाहिये और सैन्य हार्डवेयर, खुिफया सूचनाएँ तथा सैन्य एवं वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिये तािक अफगान सेना शहरों की रक्षा करना जारी रख सके।
 - भारत को अफगान सरकार का समर्थन करने के लिये अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भी समन्वय करना चाहिये क्योंकि अगर तालिबान के समक्ष सरकारी सेना कमजोर पड़ जाती है तो राजनीतिक समाधान की संभावनाएँ कम हो जाएँगी।
- क्षेत्रीय समाधान: अफगानिस्तान में एक राजनीतिक समाधान हेतु भारत और तीन अन्य प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों- चीन, रूस तथा ईरान के बीच हितों का अभिसरण हो रहा है।
 - ◆ इनमें से कोई भी देश अफगानिस्तान पर तालिबान के सैन्य नियंत्रण की इच्छा नहीं रखेगा क्योंिक इसका अर्थ होगा खंडित जातीय समीकरण वाले देश में एक अलग-थलग सुन्नी इस्लामवादी शासन की स्थापना।
 - इसिलये इस विषय में समान विचारधारा वाले देशों से सहयोग की आवश्यकता है।
- लघु-आविधक और दीर्घाविधक लक्ष्य: भारत का तात्कालिक लक्ष्य अपने किर्मयों और निवेश की रक्षा एवं सुरक्षा होना चाहिये।
 - भारत का दीर्घावधिक लक्ष्य संकट के राजनीतिक समाधान की तलाश होना चाहिये। इसमें से कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है, जब तक कि भारत अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर कार्य न करे।
- रूसी समर्थन: रूस ने हाल के वर्षों में तालिबान के साथ संबंध विकसित किये हैं। तालिबान के साथ किसी भी तरह की प्रत्यक्ष संलग्नता के लिये भारत को रूस के समर्थन की आवश्यकता होगी।
- ईरान का महत्त्व: ईरान अफगानिस्तान के साथ एक लंबी भूमि-सीमा साझा करता है और उसके जातीय अल्पसंख्यकों से सांस्कृतिक संबंध रखता है।
 - ◆ ईरान में भारत की चाबहार पिरयोजना का मूल उद्देश्य पाकिस्तान को दरिकनार करते हुए अफगानिस्तान तक प्रत्यक्ष पहुँच कायम करना था।

- ◆ अफगानिस्तान तक बड़ी मात्रा में आपूर्ति, गृहयुद्ध अथवा तालिबान द्वारा बलपूर्वक सत्ता अधिग्रहण की स्थिति में भी अपनी उपस्थिति मज़बूत बनाए रखने हेतु सभी परिदृश्यों में अफगानिस्तान तक प्रत्यक्ष पहुँच भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- ♦ हालाँकि भारत पर अमेरिका का दबाव दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों के मार्ग में एक बाधा है।
- चीन के साथ सहयोग: अफगानिस्तान में एक राजनैतिक समाधान की तलाश और चिरकालिक स्थिरता के लिये भारत को चीन से भी संवाद करना चाहिये।

चूँिक अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के परिणामों के प्रभाव भारत पर भी पड़ेंगे अत: उसे अपने हितों की रक्षा और अफगानिस्तान की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये यूरेशियाई शक्तियों के साथ मिलकर कार्य करना होगा। यदि भारत सिक्रय और धैर्यवान बना रहा तो नए अफगान चरण में उसके लिये अवसर के कई द्वार खुल सकते हैं।



विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत में गुप्त निगरानी: चिंताएँ और चुनौतियाँ

संदर्भ

'पेगासस प्रोजेक्ट' (Pegasus Project) के अनुसार 300 से भी अधिक सत्यापित भारतीय मोबाइल टेलीफोन नंबरों—जिनमें मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, पत्रकार, विधिक समुदाय, व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों, अधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा इस्तेमाल किये जाते नंबर शामिल हैं—को इजरायली कंपनी 'एनएसओ ग्रुप' (NSO Group) द्वारा निर्मित स्पाइवेयर का उपयोग कर निशाना बनाया गया है।

भारत में सरकार मौजूदा कानूनों के दायरे में गुप्त निगरानी (Surveillance) कर सकती है जो ऐसी निगरानी के लिये दण्ड से मुक्ति का प्रावधान रखते हैं। यद्यपि निगरानी व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे भी विद्यमान हैं।

भारत में निगरानी के प्रावधान

- निगरानी के लिये भारत सरकार वर्ष 1885 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (Indian Telegraph Act) और वर्ष 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम (Information Technology Act) के तहत प्रदत्त कानूनी प्रावधानों का सहारा लेती है।
- ये प्रावधान समस्याग्रस्त हैं और सरकार को इसके अवरोधन और निगरानी गतिविधियों के संबंध में पूरी अपारदर्शिता बरतने का अवसर प्रदान करते हैं।
- टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधान टेलीफोन पर बातचीत और आईटी अधिनियम के प्रावधान कंप्यूटर संसाधन का उपयोग कर किये जाने वाले सभी संचारों पर लागू होते हैं।
- आईटी अधिनियम की धारा 69 और वर्ष 2009 के अवरोधन नियम (Interception Rules of 2009) टेलीग्राफ अधिनियम से भी अधिक अपारदर्शी हैं और निगरानी किये जाते लोगों को बेहद कम सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- हालाँकि, कोई भी प्रावधान सरकार को किसी भी व्यक्ति के फोन को हैक करने की अनुमित नहीं देता है, क्योंकि मोबाइल फोन और एप सिहत कंप्यूटर संसाधनों को हैक करना आईटी अधिनियम के तहत एक आपराधिक कृत्य माना गया है।
- बहरहाल, निगरानी स्वयं में—चाहे वह कानून के प्रावधान के तहत की जा रही हो या इसके बिना—नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

निगरानी के प्रभाव

- प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा: निगरानी प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। वर्ष 2019 में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ 'पेगासस' के इस्तेमाल को लेकर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे।
 - ५ 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (World Press Freedom Index) में वर्ष 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 142वें स्थान पर रखा गया है। निश्चय ही प्रेस को अभिव्यक्ति और गोपनीयता के संबंध में अधिकाधिक सुरक्षा की आवश्यकता है।
 - गोपनीयता और स्वतंत्र अभिव्यक्ति ही अच्छी रिपोर्टिंग को सक्षम बनाती है। वे वैध रिपोर्टिंग के विरुद्ध निजी और सरकारी प्रतिशोध की धमिकयों से पत्रकारों की रक्षा करती हैं।
- निजता के अधिकार के विरुद्ध: िकसी निगरानी प्रणाली का अस्तित्व मात्र निजता के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत प्रदत्त क्रमश: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करता है।
 - ◆ नागिरकों के अंदर यह भय कि उनका ईमेल सरकार द्वारा पढ़ा जा रहा है, जो कि अपरंपरागत विचारों को व्यक्त करने, सुनने और चर्चा
 करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

- ♦ निजता के अभाव में पत्रकारों की सुरक्षा, विशेषकर उन पत्रकारों की जिनकी रिपोर्ट्स सरकार की आलोचना करती है और उनके स्रोतों/ सूत्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।
- सत्तावादी शासन: निगरानी व्यवस्था सरकारी कार्यकरण में सत्तावाद के प्रसार को बढावा देती है, क्योंकि यह कार्यपालिका को नागरिकों पर अधिक मात्रा में अपनी अधिकाधिक शक्ति का प्रयोग करने और उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करने की अनुमति देती है।
- सम्यक प्रक्रिया के विरुद्ध: पूरी तरह से कार्यपालिका के नियंत्रण में की जाने वाली निगरानी संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के प्रभाव को सीमित करती है क्योंकि इसे गुप्त रूप से अंजाम दिया जाता है।

इस प्रकार, प्रभावित व्यक्ति अपने अधिकारों का उल्लंघन साबित कर सकने में असमर्थ रहता है। यह न केवल सम्यक या निर्धारित प्रक्रिया के आदर्शों और शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का उल्लंघन करती है, बल्कि के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में अनिवार्य किये गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के भी विरुद्ध जाती है।

आगे की राह

- न्यायपालिका द्वारा निरीक्षण: 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' के आदर्श को संतुष्ट करने के लिये शक्तियों के प्रभावी पृथक्करण को बनाए रखने हेतु और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों एवं प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये न्यायिक निरीक्षण (Judicial Oversight) की आवश्यकता है।
 - ♦ केवल न्यायपालिका ही यह तय करने के लिये सक्षम हो सकती है कि निगरानी के विशिष्ट उदाहरण आनुपातिक हैं या नहीं अथवा नागरिकों के लिये कम दु:सह विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं और न्यायपालिका ही सरकार के उद्देश्यों की आवश्यकता और प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बनाए रख सकती है।
 - सामान्य रूप से निगरानी प्रणालियों पर न्यायिक निरीक्षण की आवश्यकता है और पेगासस हैिकंग की न्यायिक जाँच भी आवश्यक है. क्योंकि लक्षित नंबरों के लीक हुए डेटाबेस में सर्वोच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश का फोन नंबर भी शामिल है जो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रश्नगत करता है।
- भारत में निगरानी व्यवस्था में सुधार समय की माँग है और वस्तुत: निगरानी ढाँचे में व्यापक सुधार की आवश्यकता लंबे समय से अपेक्षित
 - ♦ निगरानी के संबंध में न केवल मौजूदा सुरक्षा ढाँचा कमज़ोर हैं, बल्कि भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से संबंधित प्रस्तावित विधान भी निगरानी के मुद्दे पर विचार करने में विफल रहा है जबकि इसने सरकारी अधिकारियों के लिए व्यापक छूट का प्रावधान कर रखा है।
- प्रणाली में वृहत पारदर्शिता की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में सरकारी एजेंसियाँ सरकार के अतिरिक्त किसी और के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रखतीं।
- इसलिये वर्तमान बहस केवल इस बारे में नहीं है कि 'निगरानी व्यवस्था हो या न हो', बल्कि इस बारे में भी है कि 'कैसे, कब और किस तरह की निगरानी' की अनुमति हो।
- यदि लक्ष्य (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा) मूल अधिकारों के मामूली अतिक्रमण से प्राप्त किया जा सकता हो तो सरकार संवैधानिक रूप से उस उपाय को अपनाने के लिये बाध्य है जहाँ वास्तव में न्यूनतम अतिक्रमण या उल्लंघन शामिल हो।
- भारतीय निगरानी व्यवस्था में लाए जाने वाले सुधारों में निगरानी की नैतिकता (Ethics of Surveillance) को संलग्न किया जाना चाहिये जो निगरानी के नियोजन के तरीकों के नैतिक पहलुओं पर विचार करता है।

निष्कर्ष

यह विश्व भर में इस मामले पर विचार करने का भी उपयुक्त समय है जहाँ एक आक्रामक और हस्तक्षेपकारी राज्य द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर निगरानी तंत्र के उपयोग के विरुद्ध मौलिक अधिकारों की रक्षा पर लगातार तेज़ बहसें जारी हैं।

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

हिमालयी राज्यों में पारिस्थितिकी भंगुरता

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन की घटना में नौ पर्यटकों की दुखद मौत हिमालयी राज्यों में पारिस्थितिकी भंगुरता की ओर ध्यान आकर्षित है।

हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुई अत्यंत भारी वर्षा से पहाड़ी ढलान अस्थिर हो गए और आसपास के रिहायशी क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। अस्थिर ढलानों से नीचे खिसकती भारी चट्टानें (जिन्होंने एक पुल को किसी माचिस की डिब्बी की तरह कुचल दिया) स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिये चिंता का कारण बन रही हैं।

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक कारणों, मानवजनित उत्सर्जन के परिणामस्वरूप उत्पन्न जलवायु परिवर्तन और आधुनिक समाज के विकासात्मक प्रतिमानों के कारण होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों और परिणामों के प्रति भेद्य और अतिसंवेदनशील है।

पश्चिमी हिमालय में आपदाओं के कुछ उदाहरण

- हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में दक्षिण-पश्चिम मानसून की भारी बारिश के बाद भूस्खलन की कई घटनाओं के दौरान वाहन पर भारी पत्थर गिरने से नौ पर्यटकों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।
- इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में तीन लोग, कई इमारतें और वाहन बह गए थे।
- उत्तराखंड भी प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में रहा जहाँ फरवरी 2021 में चमोली जिले में अचानक आई भीषण बाढ़ में 80 से अधिक लोग मारे गए थे।
- हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य अपनी पारिस्थितिकी के नुकसान के कारण अपरिवर्तनीय क्षय के चरण में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ भूस्खलन की लगातार घटनाएँ अपरिहार्य बन सकती हैं।

हिमालयी पारिस्थितिकी के लिये खतरा

- प्राकृतिक आपदा की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धिः
 - हिमालयी भू-दृश्य भूस्खलन और भूकंप के लिये अतिसंवेदनशील क्षेत्र हैं।
 - हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के टकराने से हुआ है। भारतीय प्लेट के उत्तर दिशा की ओर गति के कारण चट्टानों पर लगातार दबाव बना रहता है, जिससे वे कमज़ोर हो जाती हैं और भुस्खलन एवं भुकंप की संभावना बढ जाती है।
 - ♦ इस परिदृश्य के साथ खड़ी ढलानों, ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति, उच्च भूकंपीय भेद्यता और वर्षा का मेल इस क्षेत्र को विश्व के सबसे
 अधिक आपदा प्रवण क्षेत्रों में से एक बनाता है।
- असंवहनीय दोहन: राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वृहत् सड़क विस्तार परियोजना (चार धाम राजमार्ग) से लेकर सोपानी पनिबजली परियोजनाओं के निर्माण तक और कस्बों के अनियोजित विस्तार से लेकर असंवहनीय पर्यटन तक, भारतीय राज्यों ने क्षेत्र की संवेदनशील पारिस्थितिकी के संबंध में मौजुद चेताविनयों की अनदेखी की है।
 - इस तरह के दृष्टिकोण ने प्रदूषण, वनों की कटाई और जल एवं अपिशष्ट प्रबंधन संकट को भी जन्म दिया है।
- विकास गितविधियों के खतरे: वृहत् पनिबजली पिरयोजनाएँ (जो "हिरत" ऊर्जा का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं और जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा से प्रतिस्थापित करती हैं) पारिस्थितिकी के कई पहलुओं को पिरविर्तित कर सकती हैं और इसे बादल फटने, अचानक बाढ़ आने, भूस्खलन और भूकंप जैसी चरम घटनाओं के प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।
 - पहाड़ी क्षेत्रों में विकास का असंगत मॉडल आपदा को स्वयं आमंत्रित करना है, जहाँ जंगलों के विनाश और निदयों पर बाँध निर्माण जैसी कार्रवाइयों के साथ वृहत् जलविद्युत पिरयोजनाओं तथा बड़े पैमाने पर निर्माण गितविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

- हिमालयी पारिस्थितिकी पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव:
 - भंगुर स्थलाकृति और जलवायु-संवेदनशील योजना के प्रति पूर्ण उपेक्षा के भाव के कारण पारिस्थितिकी के लिये खतरा कई गुना बढ़ गया
 है।
 - ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप जलराशि में अचानक हो रही वृद्धि बाढ़ का कारण बन रही है और यह स्थानीय समाज को प्रभावित करती है।
 - ♦ जंगल में आग की बढ़ती घटनाओं के लिये भी हिमालयी क्षेत्र में होने वाले ग्लोबल वार्मिंग को प्रमुख कारण के रूप में देखा जा रहा है।
- वनों का कृषि भूमि में रूपांतरण और लकड़ी, चारा एवं ईंधन की लकड़ी के लिये वनों का दोहन इस क्षेत्र की जैव विविधता के समक्ष कुछ प्रमुख खतरे हैं।

आगे की राह

- पूर्व चेतावनी प्रणाली: आपदा की भिवष्यवाणी करने और स्थानीय आबादी एवं पर्यटकों को सचेत करने के लिये पूर्व चेतावनी एवं बेहतर मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का होना आवश्यक है।
- क्षेत्रीय सहयोग: हिमालयी देशों के बीच एक सीमा-पारीय गठबंधन की आवश्यकता है ताकि पहाड़ों के बारे में ज्ञान साझा किया जा सके और वहाँ की पारिस्थितिकी का संरक्षण किया जा सके।
- क्षेत्र विशिष्ट सतत् योजना: सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाए और एक सतत्/संवहनीय योजना तैयार की जाए जो इस संवेदनशील क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं तथा जलवायु संकट के प्रभाव का ध्यान रखती हो।
- पर्यावरणीय पर्यटन या इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना: वाणिज्यिक पर्यटन के प्रतिकूल प्रभावों पर संवाद शुरू करना चाहिये और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिये।
- सतत् विकास: सरकार को सतत् विकास पर केंद्रित होना चाहिये, न कि केवल उस विकास पर जो पारिस्थितिकी के विरुद्ध प्रेरित है।
 - ♦ किसी भी पिरयोजना को लागू करने से पहले विस्तृत पिरयोजना रिपोर्ट (DPR), पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) और सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) को आवश्यक बनाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

लोगों और समुदायों को होने वाली हानि की वास्तविक भरपाई करना असंभव है; साथ ही प्राचीन वनों के विनाश की भरपाई लचर वनीकरण कार्यक्रमों से नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वृहत् सड़क विस्तार परियोजना से लेकर सोपानी पनिबजली परियोजनाओं के निर्माण तक और कस्बों के अनियोजित विस्तार से लेकर असंवहनीय पर्यटन तक, भारतीय राज्यों ने क्षेत्र की संवेदनशील पारिस्थितिकी के संबंध में मौजूद चेताविनयों की अनदेखी की है। समय की माँग है कि सरकार मानव जीवन सिहत प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करने में सहायता हेतु एक भिन्न दृष्टिकोण का पालन करे।

सामाजिक न्याय

महामारी के बाद महिलाओं की स्थिति

संकटकाल में महिलाएँ समाज की रीढ़ होती हैं, यद्यपि ऐसी आपदाओं का अधिक प्रतिकूल प्रभाव उन पर ही पड़ने की संभावना भी अधिक होती है। इस दृष्टिकोण से कोविड-19 महामारी भी कोई अपवाद नहीं है।

इसने पहले से ही मौजूद लिंग-संबंधी बाधाओं को गंभीर रूप से बढ़ा दिया है, कार्यबल में भारत के लैंगिक अंतराल में वृद्धि की है और स्वास्थ्य-देखभाल कर्मियों एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स पर असर डाला है जिसमें अधिकाधिक संख्या में महिलाएँ शामिल हैं।

इसके अलावा, डलबर्ग (Dalberg) द्वारा निम्न-आय परिवार की महिलाओं पर कोविड-19 के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर एक वृहत अध्ययन में पोषण की खराब स्थिति, गर्भनिरोधकों तक पहुँच की कमी और ऋण जैसे कारकों के बहु-पीढ़ीगत प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

महिलाओं पर प्रभाव

- मिहला बेरोजगारी में वृद्धिः रोजगार संबंधी मामलों में मिहलाएँ पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हुईं। महामारी से पहले कार्यबल में मिहलाओं की हिस्सेदारी केवल 24% थी, लेकिन फिर भी महामारी के दौरान रोजगार खोने वाले लोगों की संख्या में उनकी हिस्सेदारी 28% रही।
- खाद्य असुरक्षा की समस्याएँ: महिलाओं साथ ही उनके पिरवारों की आय में कमी के कारण खाद्य आपूर्ति में कमी आई और पिरवार के अन्य सदस्यों की तुलना में महिलाएँ अधिक प्रभावित हुईं।
- प्रजनन स्वास्थ्य की समस्याएँ: कोविड महामारी के दौरान मिहलाओं के स्वास्थ्य संकेतकों में भी गिरावट आई क्योंकि महामारी के प्रभाव में वे गर्भिनरोधक तथा माहवारी संबंधी उत्पादों का खर्च उठा सकने में असमर्थ रहीं।
 - अनुमानत: 16% (लगभग 17 मिलियन) मिहलाओं को सैनिटरी पैड का उपयोग बंद करना पड़ा और प्रत्येक तीन विवाहित मिहलाओं में से एक से अधिक मिहलाएँ गर्भिनिरोधकों का उपयोग करने में असमर्थ हो गईं।
- अवैतिनक श्रम: चूँिक भारतीय महिलाएँ पहले से ही भारतीय पुरुषों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक अवैतिनक कार्य करती हैं ऐसे में कुछ सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि महिलाओं के लिये अवैतिनक श्रम में 47% और उनके लिये अवैतिनक देखभाल कार्य में 41% की वृद्धि हुई।
- वंचित/उपेक्षित समूह: ऐतिहासिक रूप से वंचित/उपेक्षित समूहों (मुसलमान, प्रवासी, एकल/पिरत्यक्ता/तलाकशुदा) की महिलाएँ अन्य
 महिलाओं की तुलना में अधिक प्रभावित हुईं।
 - ◆ उन एकल/पिरत्यक्ता/तलाकशुदा मिहलाओं की संख्या में वृद्धि हुई जिनके पास खाद्य भंडार या तो सीमित या समाप्त हो रहा था। इसी प्रकार, आय एवं आजीविका खोने वाली मुस्लिम मिहलाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई।
 - ज्ञमीनी स्तर पर उन महिलाओं की स्थिति और बदतर होने की संभावना है जो पहले ही सामाजिक भेदभाव का शिकार हैं (जैसे दिलत महिलाएँ और ट्रांसजेंडर समृह)।

आगे की राह

- सार्वजिनक वितरण प्रणाली (PDS) का विस्तार करना: खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं तक PDS का विस्तार किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह दूर तक पहुँच रखने वाली वितरण प्रणाली है। उदाहरण के लिये, इस वितरण प्रणाली के माध्यम से लघु अविध के लिये सैनिटरी पैड तक महिलाओं की पहुँच में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है।
 - ◆ PDS के साथ निशुल्क माहवारी-संबंधी स्वच्छता उत्पादों को संयुक्त करने से इन आवश्यक वस्तुओं के लिये महिलाओं की आय पर निर्भरता कम होगी।

- ♦ आदर्शत: यह कदम माहवारी-संबंधी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संदर्भ में राष्ट्रीय, राज्य-स्तरीय और जिला-स्तरीय जागरूकता अभियान को पुरकता ही प्रदान करेगा।
- योजनाओं के लाभ को सार्वभौमिक बनाना: मनरेगा जॉब कार्ड पर मिहलाओं को सूचीबद्ध किया जाना चािहये तािक कुल व्यक्ति-दिवसों की संख्या में वृद्धि हो सके और मिहलाओं के लिये रोजगार अवसरों की मांग की पूर्ति की जा सके।
 - पहले से कार्यान्वित 'दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (SHGs)
 के आर्थिक पुनरुद्धार और बाजार से उनके संपर्कों पर ध्यान केंद्रित कर उनके लचीलेपन को मजबूत किया जाना चाहिये।
 - ◆ स्वयं सहायता समूह महिलाओं को छोटे व्यवसायों को डिजिटल रूप से चलाने के लिये आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करने हेत् तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकते हैं।
- समावेशी दृष्टिकोण: नई योजना 'एक राष्ट्र- एक राशन कार्ड' में एकल/पिरत्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को शामिल करने पर ध्यान देना और अनौपचारिक कर्मियों, विशेष रूप से घरेलू कामगारों तथा अनौपचारिक श्रमिकों के लिये सामाजिक सहायता कार्यक्रमों का सजन करना।
- जागरूकता में वृद्धिः सरकार गर्भिनरोधक उपयोग पर रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिये मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (ASHA), मिशन परिवार विकास तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से अपने मौजूदा प्रयासों को और अधिक गित प्रदान कर सकती है।

- सर्वेक्षण के अनुसार, तीन में से एक महिला ने यह माना कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों ने महामारी से निपटने
 में उनकी सहायता करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 - ◆ विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS), प्रधानमंत्री जन-धन योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) ने संकट के दौरान क्रमश: 12 मिलियन, 100 मिलियन और 180 मिलियन महिलाओं को सहायता प्रदान की।
- इस प्रकार, प्रत्येक महिला को महामारी के बुरे प्रभाव से जल्द-से-जल्द बाहर निकालने में मदद करने के लिये सरकारी योजनाओं तथा स्वयं सहायता समृह व्यवस्था के सार्वभौमिकरण, सघनीकरण एवं विस्तारीकरण की आवश्यकता है।
- महिलाओं के मुद्दों में अभी सही निवेश करना हमारी अर्थव्यवस्था और समाज के दीर्घकालिक सुधार एवं स्वास्थ्य की दिशा में परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना

कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्र के लिये ही 'जीवन बनाम आजीविका' की दुविधा उत्पन्न की है। प्रवासी श्रमिक समाज के उन सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं जो इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं।

कोविड-19 महामारी की दो घातक लहरों के बाद बेरोज़गार प्रवासी श्रमिकों के समक्ष खाद्य सुरक्षा और आय सुरक्षा दो प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं।

खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिये भारत सरकार ने 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' (One Nation One Ration Card-ONORC) योजना की शुरुआत की है। ONORC योजना किसी लाभार्थी को उसका राशन कार्ड कहीं भी पंजीकृत होने से स्वतंत्र रखते हुए देश में कहीं भी अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त कर सकने की अनुमित देती है।

ONORC योजना की स्थिति

- वर्तमान में 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने योजना की औपचारिकताएँ पहले ही पूरी कर ली हैं, जिसमें लाभार्थियों के राशन कार्ड को उनके आधार नंबर से लिंक किया जाना और प्रत्येक FPS में ई-प्वाइंट ऑफ सेल (e-POS) मशीन को इंस्टॉल किया जाना शामिल रहा।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act- NFSA), 2013 के तहत खाद्य सिब्सिडी का पूर्ण कार्यान्वयन सार्वजिनक वितरण प्रणाली (Public Distribution System- PDS) के डिजिटलीकरण पर निर्भर करता है जो 5,00,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों (Fair-Price Shops- FPS) के नेटवर्क से समर्थित है।

- ♦ इसे आधार (Aadhaar) प्रमाणीकरण और सत्यापित डेटा के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (Integrated Management of Public Distribution System-IMPDS) पोर्टल के तहत की गई सभी ख़रीद को दर्ज करता है।

ONORC के लाभ

- भोजन के अधिकार को सक्षम करना: पूर्व में राशन कार्डधारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सिब्सिडीयुक्त खाद्यान्न की अपनी
 पात्रता का लाभ केवल संबंधित राज्य के अंदर निर्दिष्ट उचित मूल्य की दुकान (FPS) से ही प्राप्त कर सकते थे।
 - यदि कोई लाभार्थी किसी दूसरे राज्य में प्रवास या पलायन करता है तो उसे उस दूसरे राज्य में नए राशन कार्ड के लिये आवेदन करना होता है।
 - ONORC सामाजिक न्याय के लिये इस भौगोलिक बाधा को दूर करने और भोजन के अधिकार को सक्षम करने की परिकल्पना करता
 है।
- आबादी के लगभग एक-तिहाई भाग का समर्थन: देश की लगभग 37% आबादी प्रवासी श्रमिकों की है। इसिलये यह योजना उन सभी लोगों के लिये महत्त्वपूर्ण है जो रोजागार आदि कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करते हैं।
- रिसाव कम करना: ONORC रिसाव या लीकेज को कम कर सकता है क्योंकि इस योजना की पूर्व शर्त नकली/डुप्लिकेट राशन कार्डों की पहचान करना या डी-डुप्लीकेशन है।
 - ♦ इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक ही व्यक्ति देश के दो अलग-अलग स्थानों में लाभार्थी के रूप में चिह्नित नहीं है।
 - ♦ इसके अलावा, यह योजना आधार और बायोमेट्रिक्स से लिंक्ड है जो भ्रष्टाचार की अधिकांश संभावनाओं को दूर करती है और पारदर्शिता लाती है।
- सामाजिक भेदभाव को कम करना: ONORC महिलाओं और अन्य वंचित समूहों के लिये विशेष रूप से लाभप्रद होगा क्योंकि PDS
 तक पहुँच प्रदान करने में सामाजिक पहचान (जाति, वर्ग और लिंग) और अन्य प्रासंगिक घटकों (शक्ति संबंधों सहित) को पर्याप्त महत्त्व
 दिया गया है।

संबद्ध चुनौतियाँ

- अपवर्जन त्रुटि: आधार से लिंक्ड राशन कार्ड और स्मार्ट कार्ड के माध्यम से इस PDS प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को लीकेज कम करने के प्रयास के तहत आगे बढ़ाया गया है। हालाँकि आधार-सीडिंग के बाद अपवर्जन त्रुटियों (Exclusion Error) में वृद्धि हुई है।
 - 🔷 समाज के कई वर्ग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है और इस कारण वे खाद्य सुरक्षा से वंचित हो रहे हैं।
- अधिवास-आधारित सामाजिक क्षेत्र योजनाएँ: न केवल PDS बल्कि निर्धनता उन्मूलन, ग्रामीण रोजगार, कल्याण और खाद्य सुरक्षा संबंधी अधिकांश योजनाएँ ऐतिहासिक रूप से अधिवास-आधारित पहुँच पर आधारित रही हैं और सरकारी सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और खाद्य अधिकारों तक लोगों की पहुँच को उनके मूल स्थान या अधिवास स्थान तक के लिये सीमित रखती हैं।
- FPS पर आपूर्ति बाधित करना: किसी FPS को प्राप्त उत्पादों का मासिक कोटा कठोरता से उससे संबद्ध लोगों की संख्या के अनुसार सीमित रखा गया है।
 - ONORC जब पूर्णरूपेण कार्यान्वित होगा तब इस अभ्यास को समाप्त कर देगा क्योंकि कुछ FPS को नए लोगों के आगमन के कारण अधिक संख्या में कार्डधारकों को सेवा देनी होगी जबिक कुछ अन्य FPS लोगों के पलायन के कारण निर्धारित कोटे से कम लोगों को सेवा देंगे।

आगे की राह

- वैकिल्पिक वितरण केंद्र खोलना: यदि आपात स्थितियाँ राशन की दुकानों पर अधिक दबाव बनाए रखती हैं जिससे सेवा बाधित होती है तो कमज़ोर समूहों तक खाद्यान्न की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये वैकिल्पिक वितरण चैनलों पर विचार किया जा सकता है।
- पोषाहार सुरक्षा पर ध्यान देना: खाद्य सुरक्षा को पोषाहार सुरक्षा के व्यापक ढाँचे से देखा जाना चाहिए। इसलिये ONORC को एकीकृत बाल विकास सेवाओं, मध्याह्र भोजन, टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधाओं की सुवाह्यता या पोर्टेबिलिटी को अनुमित देना चाहिये।

- PDS को फूड कूपन से प्रतिस्थापित करना: दीर्घाविध में PDS प्रणाली को एक सुदृढ़ फ़ूड कूपन सिस्टम या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
 - यह व्यवस्था ऐसी होगी जहाँ गरीबी रेखा से नीचे का पिरवार किसी भी किराना स्टोर से बाजार मूल्य पर चावल, दाल, चीनी और तेल की खरीद कूपन के माध्यम से या नकद भुगतान द्वारा कर सकता है।

ONORC खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद से सार्वजनिक वितरण पारिस्थितिकी तंत्र में लाया गया एक दूरगामी सुधार है। यह बेरोजगार प्रवासी श्रमिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगा और 'सतत् विकास लक्ष्य 2: वर्ष 2030 तक भुखमरी की समाप्ति' (SDG 2: Ending hunger by 2030) के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण

प्रवासन पर नवीनतम उपलब्ध सरकारी आँकड़ों (वर्ष 2011 की जनगणना) के अनुसार, भारत में वर्ष 2011 में 45.6 करोड़ (जनसंख्या का 38%) प्रवासी थे, जबिक 2001 में इनकी संख्या 31.5 करोड़ (जनसंख्या का 31%) रही थी।

प्रवासी श्रिमिक कोविड-19 महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं क्योंकि राज्यविहीनता की उनकी स्थिति के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सके। इस प्रकार, असंगठित क्षेत्र के श्रिमिकों (लगभग 93%, निम्नस्तरीय रोजगार में संलग्न अधिकांश प्रवासी श्रिमिकों सिहत) को वर्तमान में कार्यान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकने में सक्षम बनाने की आवश्यकता है।

प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं और कठिनाइयों पर सर्वोच्च न्यायालय का हाल का निर्णय इतिहास में एक क्रांतिकारी निर्णय के रूप में दर्ज किया जाएगा जिसने कोविड-19 महामारी के समय मानवीय पीड़ा को कम करने का प्रयास किया है।

इस निर्णय में अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों के महत्त्वपूर्ण योगदान को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है, भले ही वे प्राय: अस्थायी रोजगार में संलग्न होते हैं। हालाँकि इस निर्णय के सुचारू कार्यान्वयन की अपनी चुनौतियाँ भी हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का महत्त्व

- स्वघोषणा स्वीकार करने का निर्देश: प्रचलित अभ्यास से विराम लेते हुए निर्णय में कहा गया है कि कल्याणकारी कार्यक्रमों तक श्रिमकों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये संबंधित प्राधिकार आईडी कार्ड पर जोर नहीं देंगे और श्रिमकों की "स्वघोषणा" को स्वीकार करेंगे (ज्ञात हो कि ऐसा ही प्रावधान सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में मौजूद था)।
 - ◆ एक ऐसे देश में जहाँ दस्तावेज निर्धारित करते हैं कि किन लोगों की राज्य के संसाधनों तक पहुँच होगी और किसे नागरिकता दी जाएगी,
 िकसे नहीं—वहाँ दस्तावेज की आवश्यकता को समाप्त किये जाने का निर्णय बेहद क्रांतिकारी है।
- कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच को सार्वभौमिक बनाने का निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह भी कहा गया है कि दस्तावेजीकरण की कमी को राज्य द्वारा अपने उत्तरदायित्वों से बचने के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, विशेषकर एक ऐसे समय जब देश महामारी का सामना कर रहा है।
 - ◆ यद्यपि दीर्घकालिक लक्ष्य यह है कि सभी प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत किया जाए ताकि कल्याणकारी योजनाओं तक सार्वभौमिक पहुँच स्निश्चित हो।
- यह समाजवादी एजेंडे में विश्वास को प्रेरित करता है: सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक ऐसे समय भारत के मूल समाजवादी एजेंडे में विश्वास को प्रेरित करता है जब नव-उदारवादी नीतियों ने समाज के सबसे कमजोर लोगों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा हेतु किये गए उपायों को चुनौती दी है तथा औद्योगिक क्षेत्र लागत में कटौती करने और प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिये श्रम मानकों के मामले में शर्मनाक "race to the bottom" के दृष्टिकोण पर अमल कर रहे हैं।
- यह निर्णय एक स्वागत योग्य संकेत है कि देश का उच्चतम न्यायालय समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों की दशा-दिशा पर नज़र बनाए हुए है।

प्रवासियों की समस्याएँ

 श्रिमिकों के पंजीकरण में देरी: श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय डेटाबेस पर श्रिमिकों को पंजीकृत करने में देरी उनकी पहुँच को अवरुद्ध करने वाली प्रमुख बाधा है।

- श्रम विभाग में व्याप्त बाधाएँ: श्रम विभाग में पंजीकरण से संबंधित प्रक्रियाओं पर दिशा-निर्देशों की कमी और हार्ड कॉपी में प्रस्तुत डेटा को पोर्टल पर अपलोड करने में देरी (क्योंकि इसे किसी अन्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अद्यतन नहीं किया जा सकता) सहित कई बाधाएँ मौजूद हैं।
- प्रशासिनक समस्याएँ: प्रवासियों को पंजीकरण में डिजिटल निरक्षरता, भ्रष्टाचार, नौकरशाही अक्षमता और विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता
 (तब भी जबिक आधार कार्ड ही पर्याप्त होता) जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- अितसंवेदनशील समूहों का बिहर्वेशन: समाज में व्याप्त भेदभाव के कारण मुस्लिम तथा दिलत जातियों जैसे अितसंवेदनशील समूहों के बिहर्वेशन की स्थिति और भी बदतर है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश ने श्रम भर्ती और रोजगार के उन उलझे हुए प्रतिरूपों को चुनौती दी है जो वर्तमान नव-उदारवादी संदर्भ में जड़ें जमा चुके हैं।

आगे की राह

- पंजीकरण प्रक्रिया को तेज करना: पंजीकरण के बिना वर्तमान में कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
 इसिलिये सभी प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण हेतु इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिये।
- मौजूदा कानूनों का प्रवर्तन: सभी श्रमिकों को श्रम एवं प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा हेतु वर्तमान में प्रवर्तित तीन कानूनों—अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979; भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996; और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008— के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिये।
- ONORC योजना का शीघ्रातिशीघ्र आरंभ:
 - उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 'वन नेशन वन राशन कार्ड'
 (ONORC) योजना के तहत प्रवासी श्रिमकों के बीच वितरण के लिये राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित करना चाहिये।
 - इस प्रणाली के आरंभ के लिये लाभार्थियों के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड और राशन की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ePoS) होना आवश्यक है।
- श्रम विभागों में सुधार की आवश्यकता: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पूर्ति के लिये श्रम विभागों के पास कर्मियों और आवश्यक क्षमता का गंभीर अभाव है जिसे दूर करने की आवश्यकता है।
 - विभागों में संगठनात्मक परिवर्तन लाने के लिये आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिये।

निष्कर्ष

देश के समग्र विकास के लिये सामाजिक सुरक्षा उपायों के दायरे में सभी असंगठित श्रमिकों को शामिल किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का हाल का आदेश समाज के सबसे कमज़ोर लोगों के अधिकारों के पक्ष में खड़ा है और अर्थव्यवस्था में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान को चिह्नित करता है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी और नागरिक समाज

संदर्भ

कोविड-19 महामारी ने उन विभिन्न समस्याओं और गंभीर चिंताओं को उजागर किया है, जिन्होंने डिजिटल रूप से अधिक सक्षम समाज के निर्माण में भारत के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं।

महामारी के दौरान कई आवश्यक सेवाओं- जैसे स्वास्थ्य सेवाओं और टीकाकरण, शिक्षा, आजीविका एवं राशन आदि तक व्यापक पहुँच आदि ने देश में प्रौद्योगिकी के असमान वितरण के प्रभावों का सामना किया है।

इस प्रकार, बढ़ती असमानताओं और स्वास्थ्य प्रणाली पर बढ़ते बोझ के साथ डिजिटल रूप से संचालित कार्यक्रमों की तात्कालिक आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक है।

इस संदर्भ में स्पष्ट है कि विकास क्षेत्र (जैसे गैर-सरकारी संगठन और नागरिक समाज संगठन) भी नई प्रौद्योगिकियों से अलग-थलग नहीं बने रह सकते हैं। उन्हें डिजिटल ट्रांजिशन के लिये प्रयास करना चाहिये, ताकि विभिन्न डिजिटल चुनौतियों को आसानी से हल किया जा सके।

डिजिटल चुनौतियाँ

- दूरस्थ समुदाय तक डिजिटल रूप से पहुँच में कमी: कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान विकास क्षेत्र को प्रौद्योगिकी की ओर अवस्थांतरित करने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई थी, क्योंकि इस दौरान देश में दूरस्थ समुदायों तक पहुँच की असमर्थता जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।
 - जून 2020 में आयोजित एक सर्वेक्षण की मानें तो उत्तरदाताओं में से केवल आधे लोग ही अपने स्थानीय समुदायों में आयोजित की जा रही ऑनलाइन कक्षाओं से अवगत थे।
 - ♦ इन अंतरालों के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं और लगभग 10 मिलियन बालिकाओं को स्कूल छोड़ना पड़ सकता है।
- दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाओं का अभाव: डिजिटल सेवाओं के समान रूप से वितिरत नहीं होने के कारण, दूरस्थ क्षेत्रों के समुदायों को डिजिटल उपकरणों के पूरक के तौर पर प्राय: जमीनी स्तर के किमयों की सहायता की आवश्यकता होती है।
 - ◆ उन्हें नवोन्मेषी और अवसंरचनात्मक डिजिटल समाधानों के लिये वित्त प्राप्त करने के मामले भी भारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप यह नागरिक समाज संगठनों (CSOs) के लिये चुनौतियाँ खड़ी करता है।
- डिजिटल विभाजन: महामारी की दूसरी लहर के दौरान, शहरी भारतीयों ने जीवनरक्षक चिकित्सा आपूर्ति प्राप्त करने के लिये लगातार सोशल मीडिया मंचों का सहारा लिया, लेकिन ग्रामीण भारतीय इन मंचों का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे।
 - ♦ इंटरनेट की असमान पहुँच ने भारत में कोविड-19 टीकों तक पहुँच और पंजीकरण को भी एक चुनौती बना दिया है, जिससे लाखों भारतीय अपना पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं।
- डिजिटल निरक्षरता: यह स्पष्ट है कि अधिकांश भारतीय नागरिकों में डिजिटल साक्षरता की कमी है और जो लोग डिजिटल रूप से सक्षर भी हैं, उनमें से भी कई लोगों के लिये ऑनलाइन सुरक्षा अभी भी एक अपरिचित अवधारणा ही बनी हुई है।
 - भाषा एवं पहुँच की बाधाएँ और सीमित डेटा एवं ढाँचागत प्रणालियाँ इस परिदृश्य को और जटिल बनाती हैं।
- सामाजिक बाधाएँ और प्रणालीगत असमानता भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती हैं- आज भी महिलाओं के पास मोबाइल स्वामित्व (किसी पारिवारिक सदस्य के मोबाइल के बजाए अपना मोबाइल) उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में काफी कम है।
 - ◆ इसके अलावा, विभिन्न समुदाय आज भी युवा लोगों, विशेष रूप से युवा महिलाओं को मोबाइल उपकरण सौंपने के विरुद्ध हैं तािक वे किसी प्रकार उनकी मौजूदा पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती न दे सकें।

आगे की राह

- प्रौद्योगिकी-सक्षम विकास क्षेत्र की आवश्यकता: यह उपयुक्त समय है कि विकास क्षेत्र (NGOs/CSOs) प्रौद्योगिकी-संचालित पारितंत्र की ओर आगे बढ़ें, तािक मौजूदा डिजिटल विभाजन को दूर करने हेतु अधिक व्यवस्थित और सुदृढ़ प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके और दूरस्थ समुदायों को डिजिटल पहुँच प्राप्त करने में भी सक्षम बनाया जा सके।
- प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप: डिजिटल समाधान के सृजन और कार्यान्वयन की प्रक्रिया बहुस्तरीय और जिटल है। कई नागरिक समाज संगठनों के अनुसार, किसी कार्यक्रम के जीवनचक्र में प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न मांगों की आपूर्ति करना इस दिशा में प्राथमिक और महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।
 - ♦ इसके लिये अनुकूलित अथवा विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर संशोधित डिजिटल हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। यह विषय जिटल हो जाता है, क्योंकि CSOs को उन स्थानीय समुदायों के साथ काम करना होगा, जो स्वयं डिजिटल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
 - डिजिटल हस्तक्षेपों को इन अनिवार्यताओं को भी ध्यान में रखना होगा।
- लोगों की प्रतिक्रिया: प्रौद्योगिकी-आधारित कार्यक्रमों की सफलता अंतत: ज्ञमीनी स्तर पर इसके समर्थन पर निर्भर करती है, ऐसे में सफल एवं संवहनीय कार्यक्रमों के संचालन के लिये सामुदायिक प्रतिक्रिया काफी महत्त्वपूर्ण होती है।
 - इसिलये, कार्यक्रमों को एकीकृत करने और इन्हें सामुदायिक अथवा पारस्परिक मध्यस्थता के लिये उत्तरदायी बनाने के साथ ही इन्हें 'मानवीय दृष्टिकोण' प्रदान किया जाना भी आवश्यक है ।
- हितधारकों के साथ साझेदारी: आम जनमानस को व्यापक पैमाने पर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये CSOs को समग्र विकास पारितंत्र में हितधारकों के साथ अधिक व्यवस्थित साझेदारी की आवश्यकता है।

- ♦ बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी-आधारित हस्तक्षेपों के उपयोग को सक्षम बनाने के लिये सरकार, वित्तपोषकों और अन्य नागरिक समाज भागीदारों के बीच सहयोग अति-महत्त्वपूर्ण है।
- ◆ उदाहरण के लिये, सरकारी और निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को डिजिटल अवसंरचना और संपर्क/कनेक्टिविटी की उपलब्धता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है जबिक नागरिक समाज, कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रियाओं को सरकार की प्राथमिकताओं में एकीकृत कर सकते हैं।
- अनुभवों को दर्ज करना: विकास क्षेत्र के लिये कार्यक्रम तैयार करने में प्रौद्योगिकी को अपनाने के साथ उभरने वाली महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का कोई समग्र समाधान मौजूद नहीं है।
 - ऐसे में भारत में डिजिटल हस्तक्षेप के संबंध में अधिक स्वतंत्र संवाद को आगे बढ़ाने के लिये सीखे गए अनुभवों का दस्तावेजीकरण एक महत्त्वपूर्ण आरंभिक कदम होगा।

आने वाले महीनों और वर्षों में डिजिटल उपकरण, पहुँच और साक्षरता की आवश्यक भूमिका को स्वीकार करते हुए नागरिक समाज संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को अपने कार्यकलाप में प्रौद्योगीकी की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बदलाव लाने की आवश्यकता है।



आंतरिक सुरक्षा

भारतीय सशस्त्र बलों का पुनर्गठन

दो मोर्चों पर युद्ध (संयुक्त रूप से चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध) के खतरे से उत्पन्न प्रमुख भू-रणनीतिक चुनौतियों के पिरप्रेक्ष्य में भारत परमाणु युद्ध से लेकर उप-पारंपिरक युद्ध तक संघर्ष के पूर्ण दायरे में विस्तृत जिटल खतरों एवं चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस प्रकार, अपने संसाधनों के प्रभावी और कुशल उपयोग के लिये भारत को सशस्त्र बलों के पुनर्गटन की आवश्यकता है।

इस बीच, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत द्वारा भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) को भारतीय थल सेना (Indian Army) की एक सहायक इकाई मात्र कहना और इस पर वायु सेना प्रमुख की आपित्त सशस्त्र बलों की पुनर्गठन प्रक्रिया को चिह्नित करने वाली कठिन यात्रा की नवीनतम गुत्थी के रूप में सामने आई।

इस प्रकार, सैन्य संगठन में सुधार विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है जिन्हें हल किये जाने की आवश्यकता है।

सशस्त्र बलों के पुनर्गठन के समक्ष विद्यमान समस्याएँ

- तालमेल की समस्या: घटते बजट, तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थित और प्रौद्योगिकी के बढ़ते दखल के साथ सशस्त्र बल तालमेल की आवश्यकता को तो समझते हैं, लेकिन स्वाभाविक मानवीय दोष इस तालमेल के बीच अवरोध उत्पन्न करते हैं।
 - उदाहरण के लिये, विभिन्न सैन्य सेवाएँ जहाँ एक ही स्थान पर आधारित हैं, वहाँ भी उनके बीच सह-अस्तित्व का सुमेल नहीं है। भूमि,
 भवन, सुविधाओं आदि को लेकर आपसी संघर्ष इनके बीच इष्टतम परिचालन तालमेल को प्रभावित करता है।
- संतोषजनक पिरचालन चार्टर का अभाव: एक-दूसरे को सर्वश्रेष्ठ सहयोग देने या एक-दूसरे के साथ कार्य करने की इच्छा का अभाव है।
 - उदाहरण के लिये अंडमान और निकोबार कमान में जहाँ संतोषजनक परिचालन चार्टर की कमी है वहीं सैन्य सेवाएँ भी वहाँ उपयुक्त
 संख्या में कर्मियों एवं पर्याप्त संसाधनों की तैनाती में रुचि नहीं रखतीं।
 - ♦ इसके अलावा, चूँिक एक संयुक्त कार्यकाल से कॅरियर में कोई लाभ नहीं होता, इसलिये कोई भी इसकी इच्छा नहीं रखता।
- चरम अभाव और सिकुड़ती हुई अर्थव्यवस्था: चरम अभाव और सिकुड़ती हुई अर्थव्यवस्था (जिसे जारी कोविड महामारी ने और अधिक प्रभावित किया है) के समय भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान के समक्ष सबसे बड़ी समस्या मौद्रिक या वित्त की कमी है।
- भौतिक और मानवीय संसाधनों की कमी: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यदि पुराने पड़ चुके विमानों को गिनती में शामिल कर लें तो भी भारतीय वायु सेना के पास लड़ाकू स्क्वाडून की संख्या आवश्यकता से 25% कम है।
 - ♦ अखिल भारतीय सेवा में लगभग 400 पायलटों की कमी (उनकी अधिकृत क्षमता का लगभग 10%) इस समस्या को और बढ़ाती है।
 - ♦ इसलिये, IAF ने संसाधनों के बँटवारे के विरुद्ध आगाह किया है, क्योंकि बँटवारे के लिये पर्याप्त संसाधन ही नहीं है।
- सेवाओं के बाह्य उपयोग की संभावना: केवल संसाधनों की कमी ही भारतीय वायु सेना की आपित्तयों के मूल में नहीं है बिल्क इनके सेवा क्षेत्र के बाहर भी IAF के लिये परिचालन योजनाएँ बनाए जाने की संभावना है।

पूरक शक्ति के रूप में वायु सेना

- ऐतिहासिक कारणों से थल सेना और नौसेना वायु सेना को पूरक शक्ति (Supplementary Power) के रूप में देखते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुभव का विश्लेषण करते हुए वायु शिक्त सिद्धांतकार टामी डेविस बिडल ने वर्ष 2019 में लिखा था कि 'हवाई बमबारी जमीनी परिदृश्य को नियंत्रित नहीं कर सकती।'

- निरोध और सामर्थ्य दोनों के लिये ही यह एक महत्त्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सैन्य साधन है। हालाँकि, परिणाम दे सकने की इसकी क्षमता भिन्न होती है तथा रणनीतिकारों को उन परिस्थितियों को समझना चाहिये जहाँ विशेष परिणाम या राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने की इसकी क्षमता कम या अधिक होगी।
- युद्ध की स्थिति में थल या जल पर कब्ज़ा और नियंत्रण आवश्यक है।
- वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक के उदाहरण में वायु शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को इच्छित परिणाम दे सकने में विफल रही। लेकिन हर कोई यह स्वीकार करता है कि वायु शक्ति जीत में कितनी मदद कर सकती है।

तीनों सेवाओं के दृष्टिकोण में अंतर

थल सेना - पक्ष समर्थन:

 यह अभियान के प्रति सेवा विशिष्ट दृष्टिकोण से दूर एक ऐसी प्रणाली की ओर आगे बढ़ने का उपयुक्त समय है जो कार्रवाई के दोहराव से बचाती है और उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करती है।

वायु सेना - सख्त विरोध:

- इसके पास फाइटर स्क्वाड्रन, मिड-एयर रिफ्यूलर और AWACS आदि के रूप में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं जिन्हें वह अलग-अलग थिएटर कमांडरों को समर्पित रूप से आवंटित कर सके।
- वायु सेना मानती है कि भारत भौगोलिक रूप से इतना बड़ा नहीं है कि इसे विभिन्न थिएटरों में विभाजित किया जाए, क्योंकि एक थिएटर से दूसरे थिएटर तक संसाधनों को आसानी से ले जाया जा सकता है।

नौसेना - अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण:

- वर्तमान में यह भी प्रस्ताव को लागू करने के पक्ष में नहीं है।
- नौसेना मुख्यालय द्वारा नियंत्रण का वर्तमान मॉडल इसकी रणनीतिक भूमिका के लिये आदर्शत: अनुकूल है।
- लघु सेवाओं की स्वायत्तता और महत्त्व खोने को लेकर भी अंतर्निहित आशंकाएँ मौजूद हैं।

आगे की राह

- व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति: विभिन्न सैन्य सेवाओं को उनके संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक क्षमता विकसित करने के लिये मार्गदर्शन देने हेतु एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (Comprehensive National Security Strategy) अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- व्यावसायिक शिक्षा का रूपांतरण: अन्य सेवाओं के प्रति वास्तिवक सम्मान की भावना को पोषित करने के लिये व्यावसायिक शिक्षा में रूपांतरण और अंतर-सेवा बहाली व्यवस्था को अपनाया जा सकता है।
- मतभेदों को दूर करना: सशस्त्र बलों को अपने मतभेदों को आपस में सुलझाना चाहिये, क्योंिक राजनेता या नौकरशाह ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे।
- पर्याप्त मानव संसाधन की आवश्यकता: शीर्ष संयुक्त संगठनों में पर्याप्त संख्या में गुणवत्तायुक्त कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित करना तािक अलग-अलग सेवाओं और संबद्ध व्यक्तियों को आश्वस्त किया जा सके कि उनके हितों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा।
- समस्या विशिष्ट समाधान: इस तथ्य को भी स्वीकार किये जाने की आवश्यकता है कि जो प्रणाली अन्य देशों के लिये उपयोगी है, संभव है वह हमारे लिये उपयुक्त न हो। हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप समाधानों और इसके लिये अधिक व्यावहारिक सोच की आवश्यकता है।

- वास्तिवक सैन्य संयुक्तता के लिये अलग-अलग दृष्टिकोणों का वास्तिवक अभिसरण महत्त्वपूर्ण है।
- स्पष्ट और लिखित अवधारणाएँ: प्रमुख पुनर्गठन कार्रवाइयों को लिखित अवधारणाओं के अनुक्रम का कठोर अनुपालन करना चाहिये। कार्यान्वयन से पूर्व उनका परिष्करण परामर्श, अनुकरण या रणनीतिक मनन, क्षेत्र मूल्यांकन और एक अंतिम विश्लेषण के माध्यम से किया जाना चाहिये।
 - ♦ इससे कमान और नियंत्रण, पिरसंपत्ति पर्याप्तता, व्यक्तिगत सेवा भूमिकाएँ, नई पिरिस्थितियों में पिरचालन योजना तथा संयुक्त संरचनाओं की पर्याप्तता को संबोधित करने में मदद मिलेगी।
 - 🔷 थल सेना और वायु सेना के पास पश्चिमी कमान, थल सेना के पास उत्तरी कमान, नौसेना के पास समुद्री कमान तथा वायु सेना के पास वायु रक्षा कमान एक स्वीकार्य सूत्र हो सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती गतिशीलता—जिसमें वर्तमान में साइबर, ऑटोमेशन और ऐसी अन्य नई चुनौतियाँ भी शामिल हैं, को एक असंबद्ध या भ्रमित जनरल द्वारा हल नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे एक स्पष्ट और सुदृढ़ संरचना की आवश्यकता है जो आकस्मिक स्थितियों में त्वरित कार्रवाई कर सके।

